

प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
प्रधान पीठ,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक- 54 / एन0जी0टी0 / लो0नि0वि0नजी0 / 2024

दिनांक- 12-04-2024

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-451/2022 आनन्द कुमार ध्यानी बनाम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-18-03-2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-451/2022 (आनन्द कुमार ध्यानी बनाम लोक निर्माण विभाग व अन्य) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इस प्रकरण में सन्दर्भित न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में योजित अपील सं0-1794/2022 (विरेन्द्र सिंह आदि हल्लोवाली, तहसील-नगीना बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, मुर्तजाबाद, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर) की अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अगली सुनवाई दिनांक-22-04-2024 नियत है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय, आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में अपील सं0 सी-202213000001794 विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार हल्लोवाली, तहसील-नगीना बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, मुर्तजाबाद, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006, अधिनियम की धारा-38(4) के अन्तर्गत दिनांक-21-09-2022 को योजित की गई है, जिसमें अगली तिथि-01-05-2024 सुनवाई/बहस हेतु नियत है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण में अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है-

1- मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द्र लोकसभा नगीना द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित कराये गये समाचार एवं श्री किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह निवासी मौ0 कस्साबान नगर व तहसील बिजनौर द्वारा दिये गये शिकायती पत्रों के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु पत्रांक 454/सात-भूलेख-डी0एल0आर0सी0 दिनांक 11-06-2020 को एक समिति गठित की गई थी।

(उक्त समाचार पत्र की कटिंग व शिकायती पत्र तथा जाँच कमेटी गठित करने सम्बन्धी आदेश की छायाप्रति सलंगन हैं)

2- उक्त कमेटी द्वारा की गई जाँच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया सरकारी भूमि की गलत पाई गई प्रविष्टियों को सही किये जाने हेतु तहसीलदार की आख्या के आधार पर उप जिलाधिकारी न्यायालय नगीना में वाद योजित किये गये।

(जाँच कमेटी की जाँच आख्या तथा तहसीलदार की आख्या की छायाप्रति सलंगन है।)

3- न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना द्वारा गलत पाई गई प्रविष्टियों को न्यायालय में योजित वाद संख्या टी202213160402958/2022 उ0प्र0 सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि में आदेश दिनांक 27-08-2022 के द्वारा सरकारी भूमि से गलत नामों को निरस्त करते हुये उक्त भूमि को पूर्व की भांति मूल श्रेणी में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

(न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-08-2022 की छायाप्रति सलंगन है।)

4- न्यायालय उप जिलाधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिपक्षी वीरेन्द्र सिंह आदि द्वारा न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में दिनांक 21-09-2022 को अपील संख्या सी-202213000001794 योजित कर न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने हेतु याचना की गई। जिसपर न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 29-09-2022 को न्यायालय उप जिलाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 27-08-2022 के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया। (अपीलार्थी के स्टे प्रार्थना पत्र व न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 29-09-2022 की छायाप्रति)

5- न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में योजित अपील संख्या सी-202213000001794 वीरेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार में सुनवाई हेतु नियत तिथियों (आर्डर शीट) की छायाप्रति संलग्न हैं।

6- न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में योजित अपील संख्या सी-202213000001794 वीरेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार में वाद सारांश, जिसमें अगली नियत सुनवाई दिनांक 01-05-2024 है, की छायाप्रति संलग्न है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद में योजित अपील संख्या सी-202213000001794 में प्रभावी पैरवी हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) मुरादाबाद को इस आशय का पत्र संख्या 24/एन-45/जनरल दिनांक 04-04-2024 निर्गत किया गया है कि प्रश्नगत अपील में प्रभावी पैरवी करें ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार आख्या मा0 अधिकरण के संज्ञानार्थ प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
12/11/24.
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर मुख्यालय नजीबाबाद, जिला-बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ओ0ए0 संख्या-451/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष नियत दिनांक-22-04-2024 से पूर्व उपस्थित होकर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी बिजनौर।

सेवा में

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय गृहमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली

माननीय मंत्री महोदय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सेक्रेटरी सचिव महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय, गृह भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय गृह मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मंत्री महोदय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव गृह महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव महोदय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकार, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

विषय: -- ग्राम शंकरपुर, गुरतजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कापरगंज, मसपुरी, चम्परापुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद, सेलीपाड़ा, बावन साया, औरंगजेबपुर शाहली, औरंगगामाव, साबूवाला, सुन्दरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व नदियों की मारु हजार एकड़, अरबों खरबों रुपये की सार्वजनिक भूमियों को वर्षों पहले रेवेन्यू रिकार्ड में अवैधानिक एवं छलसाधित व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राइवेट लोगों के नाम श्रेणी-01 में दर्ज किये जाने की जांच सी0बी0आई अथवा अन्य किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र ।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खयाली सिंह गौ0 कस्सावान निकट मेरठ की चुंगी बिजनौर थाना व जिला बिजनौर का निवासी है। प्रार्थी रेवेन्यू आफिस में रिनांक 31-1-2022 तक आशुलिपिक उप जिलाधिकारी जमीना के पद पर कार्यरत रहा है। प्रार्थी ने 30 वर्षों से अधिक

2536
2007

1627

940

ACIA

माननीय

आयुक्त
राजावाड़ मण्डल,
गुरतजाबादJ. A.
K. A. S.अपर आयुक्त (प्रशासन)
राजावाड़ मण्डल, गुरतजाबाद
31-1-22

आशुलिपिक के पद की सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 31-01-2022 को प्राप्त की है। इस लिये प्रार्थी को उपरोक्त पूर्ण तथ्यों की जानकारी है। प्रार्थी के द्वारा जिला बिजनौर की तहसील नगीना के ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी, चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद, तेलीपाड़ा, बावन सराय, औरंगजेबपुर शाहली, औरगंगाबाद, साबूवाला, सुन्दरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व नदियों की बारह हजार एकड़, अरबों खरबों रूपये की सार्वजनिक भूमियों को वर्षों पहले रेवेन्यू रिकार्ड में अवैधानिक एवं छलसाधित व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राईवेट लोगों के नाम श्रेणी-01 में दर्ज किये गये। सार्वजनिक सरकारी भूमियों नदियों के संबंध में प्रार्थी ने प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कई प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन स्तर एवं भारत सरकार स्तर के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर सार्वजनिक सरकारी भूमियों के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना पत्रों में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौहल्ला कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर का निवासी है। प्रार्थी लोक सेवक के पद आशुलिपिक उप जिलाधिकारी नगीना के पद पर कार्यरत है। तहसील नगीना के परगना बड़ापुर के विभिन्न ग्रामों में जालसाजी / फ्रॉड करके सरकारी भूमि को भूमिधरी में दर्ज हुई है, जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते एक शिकायत दिनांक 2-10-2019 उच्चाधिकारियों की गई। ग्राम तेलीपाड़ा की 1334-07-00 बीघा भूमि घोटाले के संबंध में मेरा विश्वास कीजिये, मैं यह सब गंभीरता से अभिलेखीय सक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ। शिकायत पर पत्र सं० 634 दिनांकित 19-12-2019 से घोटाले को छिपाने / दबाने वाली आख्या प्रेषित की गई है। जिसमें ग्राम तेलीपाड़ा के संबंध में यह आख्या प्रेषित की गई कि "ग्राम तेलीपाड़ा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें जंगल रास्ता नदी किसी भी खसरा नंबर में अंकित नहीं है। सभी खसरा नं० कृषकों के नाम वर्तमान में दर्ज है, तथा क्षेत्रीय लेखपाल ने भू-अभिलेखागार बिजनौर से सरकारी कार्य हेतु राजस्व अभिलेख प्राप्त किये। ग्राम तेलीपाड़ा परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर की खेवट चौसाला 1356 से 1359 फसली में थोक -पट्टी का नम्बरदार" राजकुवर चन्द्रमान सिंह अंकित है। जैसा कि स्तम्भ 2 में अंश (1) एक दर्शाया गया है, तथा स्तम्भ "9" में स्वामी का नाम -पिता का नाम व निवासी स्थान " राजकुमार चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह राजपूत निवासी काशीपुर नैनीताल खेवट में अंकित है। खेवट की छाया प्रति संलग्न है। ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर तहसील नगीना की खतौनी 1359 फसली में खेवट नं० 1 चन्द्रमान सिंह साहब का नाम अंकित है। जिसमें खसरा नं० 10 (कुल) जंगल झाड़ी व 7(कुल) नदी व 5 (कुल)रास्ता में दर्ज है। ग्राम में कुल खसरा नं० 22 है, जो खेवट नं० 1 में दर्ज है। ग्राम तेलीपाड़ा की 1360 फसली की खतौनी में कुल खसरा 22 पर कुल रकबा पर आदेश अंकित है कि हुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी नम्बरी जैल पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री

राजा उदेराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे। " नकल खतौनी संलग्न है। खतौनी 1362 फसली में जमन-1 में कुंवर चन्द्रगान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिंह हाल निवासी बिजनौर का नाम ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी में अंकित है तथा सम्पूर्ण खसरा नं० 1 लगायत 22 पर नाम दर्ज हैं वर्तमान में जंगल झाड़ी रास्ता नदी का कोई खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।" महोदय वास्तविकता यह है कि ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 01 में भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23-12-00, गाटा संख्या 4 रकबई 23-10-00, गाटा संख्या 8 रकबई 07-12-00, गाटा संख्या 10 रकबई 08-12-00, गाटा संख्या 12 रकबई 00-06-00 गाटा संख्या 14 रकबई 175-13-00, गाटा संख्या 16 रकबई 00-15-00, गाटा संख्या 18 रकबई 520-03-00, गाटा संख्या 20 रकबई 15-14-00, गाटा संख्या 22 रकबई 458-00-00 कुल 10 गाटे कुल रकबा 1234-07-00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बीस्वा भूमि जंगल झाड़ीदार दर्ज / प्रदर्शित है। ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 02 में भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06-09-00 गाटा संख्या 06 रकबई 10-19-00 गाटा संख्या 9 रकबई 07-03-00, गाटा सं० 11 रकबई 35-15-00 गाटा संख्या 13 रकबई 01-14-00 गाटा संख्या 19 रकबई 32-04-00 गाटा संख्या 21 रकबई 02-13-00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96-17-00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 बिस्वा नदी दर्ज / प्रदर्शित है। ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 03 में भूमि गाटा सं० 1 रकबई 00-04-00, गाटा संख्या 5 रकबई 00-09-00 गाटा संख्या 7 रकबई 00-14-00 गाटा संख्या 15 रकबई 00-02-00 गाटा संख्या 17 रकबई 02-03-00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03-12-00 बीघा पक्का-यानि 09 बीघा 06 बिस्वा रास्ता / प्रदर्शित है। श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना व श्री अशोक मार्य उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा जनसुधार अनुचित कारणों से प्रभावित होकर उच्चाधिकारियों तथ्यों के विपरीत लेखपाल की भ्रामक आख्या प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार नगीना अथवा उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा स्वयं कोई जांच या अभिलेखों का जांच किया गया। जिसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है- महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि दर्ज थी। 1360 में एक जालसाजी/फ्रॉड एण्ट्री "बहुम श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा भूमि) पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रगान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह निवासी हाल बिजनौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" की गई है। इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय अग्निनियम 1952 और नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा पर सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा

सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता था । इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय जमींदारी विनाश अधिनियम 1952, नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 'के दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 4004-08-00 (चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा)कच्चा बीघा भूमि किसी व्यक्ति / विशेष 'के नाम हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता है ?इस तथ्य को भी छिपाया गया है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रगान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह 'के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को बाद में विभिन्न व्यक्तियों 'के नाम स्थानांतरित हो रही है, इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को फ्रॉड एण्ट्री 'के कारणों से भिन्न - भिन्न खाता संख्या व भिन्न गाटा संख्याओं में दर्ज किये जाने 'के तथ्य को छिपाया गया है महोदय सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार वन से संबंधित किसी भी भूमि को पर्यावरण संरक्षण व वन संरक्षण अधिनियम 'के अंतर्गत अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ग्राम तेलीपाड़ा की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार वन गाटा सं० 18 स्कबई 520-13-00 में से 11.128 हे० भूमि को पर्यावरण संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम 'के विपरीत दिनांक 3-2-2019, 15-7-2019 को आबादी घोषित किये जाने 'के तथ्यों को भी छिपाया गया है। महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद 'के विभिन्न आदेशों 'के अनुपालन में नदी जल स्रोतों को कोई बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती है। यदि पहुँचाई गई है तो उसको पूर्व की भांति सस्थापित किया जाये। फ्रॉड एण्ट्री से नदी भूमि को क्षति पहुँचाने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है। महोदय श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना व श्री अशोक मोर्य उप जिलाधिकारी नगीना 'के द्वारा पूजिपतियों, भूमाफियों, राजनीतिक दबाव में जांच करके कोई कार्यवाही नहीं की गई है वलिक जांच 'के नाम पर खानापूति की गई है और 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि घोटाले को छिपाने/दबाने हेतु कुत्सित प्रयास किया गया है। इनकी कार्यशैली की जांच की जाये। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रगान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह 'के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण

5

136

अधिनियम व प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें महोदय की अति कृपा होगी। विषय:- ग्राम शंकरपुर, तेलीपाड़ा, राजपुर कोट, मुर्तजाबाद, हल्लूवाली, वावन सराय, औरंगजेबपुर शाहली, कादरगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, साबूवाला, सुन्दरवाली व अन्य ग्रामों की "जंगल", "नदी" भूमि की जालसाजी व फर्जीवाड़ा में योजनाबद्ध षडयंत्र करके संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए कई प्रकार के अपराध जैसे घन शोधन अधिनियम उल्लंघन (मनी लॉड्रिंग), सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार, भारतीय न्यास अधिनियम- 1882, भारतीय वन अधिनियम -1927 का उल्लंघन, जल अधिनियम- 1974 का उल्लंघन, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम-1984 का उल्लंघन, पर्यावरण अधिनियम- 1986 का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक सम्पदाओं को योजनाबद्ध षडयंत्र करके क्षति पहुँचाने संबंधी अपराधों की जांच किये जाने के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौ० कस्सावान बिजनौर जिला बिजनौर के रहने वाला है और कार्यालय उप जिलाधिकारी नगीना में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने शासकीय एवं जनहित का महत्वपूर्ण प्रकरण स्थानीय अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप में रखा गया, किन्तु अक्टूबर -2019 से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा शासकीय एवं जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरण में मात्र खानापूर्ति के लिये एक दूसरे को पत्राचार किया जा रहा है। शासकीय एवं जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरण के उल्लेखनीय तथ्य यह है कि श्री गजेन्द्र कुमार तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा प्रार्थी को कुछ ग्रामों की "नदी" "जंगल" की भूमि के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रार्थी ने कुछ लेखपालों के क्षेत्र के ग्रामों के रेवेन्यू नक्शा आदि से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि ग्राम जहानाबाद तेलीपाड़ा आदि ग्रामों की भूमि "नदी" "जंगल" की है। श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना को निर्देश दिये गये, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना का स्थानांतरण होने पर तुरंत प्रार्थी ने लोक सेवक होने के नाते अपने पदेन दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री अशोक मौर्य तत्कालीन उप जिलाधिकारी नगीना की सेवा में दिनांक 2-10-2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिलाधिकारी महोदय की सेवा में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पत्र संख्या 1200/ओ०एस०डी० -2019 दिनांक 9-10-2019 से उप जिलाधिकारी महोदय नगीना से रिपोर्ट तलब की गई, जिसके क्रम में पत्र सं० 170/एस०टी०-19 दिनांक 19-12-2019 प्रेषित किया गया, इस पत्र में अन्य तथ्य के साथ यह भी स्वीकार किया कि सुलेमान शिकोहपुर, राजपुर कोट, औरंगजेबपुर शाहली, ढकिया वावन सराय आदि ग्रामों के संबंध में पृथक से जांच की जा रही है, इस पत्र की प्रतिलिपि प्रार्थी को भी प्राप्त कराई गई। प्रार्थी ने पुनः जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, प्रमागीय निदेशक महोदय नजीबाबाद वन प्रभाग बिजनौर, उप संचालक चकवंदी महोदय बिजनौर को प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12-2019 प्रेषित किया। श्री कुंवर वीरेन्द्र मौर्य उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा तहसीलदार नगीना को पत्र सं० 675/एस०टी०-उ०जि०अ०-20120 दिनांक

07-02-2020 से आख्या तालम की गर्भ, इस पत्र की प्रति श्री भगवत प्रसाद निवारी सेलीपाड़ा को भी प्रेषित की गई है। सन्दर्भित पत्र सं० 875/एसओसी०-सोपिओआ०-20120 दिनांक 07-02-2020 के अनुक्रम में श्री हागिद प्रदीप तहसीलदार नगीना को द्वारा पत्र सं० 349/3/एसओसी०-2020 दिनांक 12-2-2020 पत्र प्रेषित किया गया, इस पत्र में अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी को इस कथन को स्वीकारा कि "वर्तमान में राजस्व अगिलेखों के अनुसार कोई जंगल, नदी, आवि की भूमि अभिलिखित नहीं है। अगिलेखों में कूट रचित एण्ट्री है। अतः प्रश्नगत स्वरसा संवरान को विभिन्न कार्रवायियों के माग से खारिज कर वर्ष खतीनी 1359 के आधार पर कुल गाटा सं० 22 को इसको मूल रूप जंगल, नदी, वर्ज की जाना उचित है।" तहसीलदार नगीना का सन्दर्भित पत्र सं० 349/3/एसओसी०-2020 दिनांक 12-2-2020 उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा पत्र सं० 889(2)/एसओसी०-सोपिओआ०-नगीना-2020 दिनांक 10-2-2020 से वापस किया गया, इस पत्र में भी सेलीपाड़ा की ओर से साक्ष्य लिये जाने के निर्देश दिये गये। तदोपरान्त उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा अपने पत्र सं० 712(3)/एसओसी०-सोपिओआ०-2020 दिनांक 10-3-2019 से तहसीलदार नगीना का सन्दर्भित पत्र सं० 349/3/एसओसी०-2020 दिनांक 12-2-2020 को एक गहीने से अधिक अग्रिम व्यतीत होने के पश्चात अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय विजयनौर को प्रेषित किया गया। प्रार्थी के द्वारा श्री कुंवर वीरेन्द्र गौर्य उप जिलाधिकारी नगीना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17-5-2020 जिलाधिकारी महोदय विजयनौर की सेवा में प्रेषित किया गया। जिससे अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय विजयनौर द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय नगीना को प्रेषित कर दिया। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 20-12-2019 के क्रम में प्रभागीय जनाधिकारी महोदय विजयनौर वन प्रभाग गजीबाबाद द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय विजयनौर की सेवा में पत्र सं० 4481/25-14 दिनांक 29-5-2020 प्रेषित करते हुए अनुरोध करते हुए जंगल की भूमि के संबंध में धारा-04 घोषित करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा एक पत्र सं० 38/एसओसी०-2020 दिनांक 10-6-2020 प्रगारी अधिकारी (शिकायत प्रकोष्ठ) महोदय कलेक्ट्रेट विजयनौर को प्रेषित किया गया, इस पत्र में भी प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद प्रबन्धक विभाकर साहकारी कृषि समिति ग्राम सेलीपाड़ा को सुनवाई का अवसर दिये जाना स्वीकारा गया है। इस पत्र की प्रति प्रार्थी को भी प्राप्त कराई गई है। इस पत्र में उप जिलाधिकारी महोदय नगीना ने कार्यवाही "रेस्ट्रिक्टेड" से प्रभावित होने का भी उल्लेख किया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय विजयनौर द्वारा पत्र सं० 445/शिओप्र०-2019 दिनांक 01-07-2020 उप जिलाधिकारी महोदय नगीना को लिखा गया है, जिसमें स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। महोदय उल्लिखित सभी पत्रों व प्रार्थना पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत हैं। महोदय श्रीमान तहसीलदार नगीना, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय विजयनौर के पत्रों एवं अगिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर वास्तविकता यह है कि ग्राम गुर्ताजाबाद, परगना बड़ापुर, तहसील नगीना, जनपद विजयनौर की छजारे एकड़ भूमि खतीनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा

(211)

संख्या 01, 03, 07, 09, 11 कमरा: रकबा 517-18-00, 160-10-00, 05-02-00, 04-10-00, 25-06-00 कुल रकबा 709-11-00 बीघा पुख्ता "जंगल" भूमि व खाता संख्या 02, 04, 05, 06, 08, 10 कमरा: रकबा 01-19-00, 06-00-00, 04-03-00, 88-12-00, 35-09-00, 13-18-00 कुल रकबा 149-19-00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमिया हैं और ग्राम शंकरपुर परगना बदापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारों एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 01, 03, 05, 06, 08, 10 कमरा: रकबा 01-06-04, 36-13-00, 05-02-00, 32-15-00, 03-15-00, 398-08-00 कुल रकबा 479-02-00 बीघा पुख्ता "जंगल" भूमि और खाता सं० 02 के गाटा सं० 02, 04, 07, 09, 11 कमरा: रकबा 00-05-00, 40-02-00, 01-10-00, 26-01-00, 31-04-00 कुल रकबा 89-02-00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमियां हैं तथा एवं ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारों एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 02, 04, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 कमरा: रकबा 23-12-00, 23-10-00, 07-12-00, 08-12-00, 00-06-00, 175-13-00, 00-15-00, 520-03-00, 16-14-00, 458-00-00 कुल रकबा 1234-07-00 "जंगल" भूमि व खाता संख्या 02 के गाटा संख्या 03, 06, 08, 11, 13, 19, 21 कमरा: रकबा 08-09-00, 10-19-00, 07-03-00, 35-15-00, 1-14-00, 32-04-00, 02-13-00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमियां हैं एवं ग्राम राजपुर कोट परगना बदापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारों एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 02, 08 कमरा: रकबा 814-08-00, 00-03-00 कुल रकबा 814-11-00 बीघा पुख्ता "जंगल" भूमियां हैं। श्रीमान तहसीलदार नगीना, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय बिजनौर के पत्रों श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तेलीपाड़ा का बार बार जिका किया गया है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जिका नहीं किया गया, इन सभी बातों से तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ग्राम मुर्तजाबाद, शंकरपुर, तेलीपाड़ा, राजपुर कोट ग्रामों का समस्त क्षेत्रफल व इन ग्रामों की भौति हल्लूवाली, बावन शराय, औरंगजेबपुर शाहली, कादरगंज, जहानाबाद, औरंगाबाद, साबूवाला, सुन्दरवाली व अन्य ग्रामों की रागरत व आंशिक "जंगल", "नदी" की हजारों एकड़ भूमियों को भगवत प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद के द्वारा सरकारी तंत्र की गिली भगत से जालसाजी, घोखाघड़ी आदि करके व कराकर "जंगल, नदी" की भूमियों को एग्रीकल्चर बनाकर सरकारी भूमियों की एग्रीकल्चर स्मगलिंग की गई है और "जंगल, नदी" आबादी में तथा गिन्न गिन्न प्रयोजनों को लिये जालसाजी, घोखाघड़ी करके दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता, गोहाटी, पंजाब, उत्तराखण्ड के हार्डप्रोफाईल व्यक्तियों व उत्तर प्रदेश के अन्य व्यक्तियों के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराकर "जंगल", "नदी" भूमियों को रेवेन्यू रिकार्ड से गायब करा दिया है तथा अधिकांश "जंगल", "नदी" भूमियों को जालसाजी घोखाघड़ी करके हजारों करोड़ों में विक्रय कर हजारों करोड़ धनराशि को देश विदेश में लगाया गया। इन भूमियों की अनेकों रजिस्ट्री सब रजिस्ट्री नगीना थाना नगीना में भगवत प्रसाद ने की है। यह भी ज्ञात हुआ कि ग्राम तेलीपाड़ा में

स्थित खाता सं० 11 गाटा सं० 22 मि० रकवा 80.178 हैक्टेअर (एक हजार बीघा से अधिक) जंगल भूमि व खाता सं० 10 गाटा सं० 18/7 रकवा 70.100 हैक्टेअर (नौ सौ बीघा से अधिक) जंगल भूमि एवं खाता सं० 09 गाटा सं० 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 कुल रकवा 29.488 है० (चार सौ बीघा से अधिक) नदी भूमि है, इन इन हजारों बीघा जंगल, नदी की भूमि अवैध कारणों से एन०सी०जिन्दल चैरिटेबिल ट्रस्ट/जरिये देधी साहाय जिन्दल पुत्र नेतराग सिंह निवासी हाल ग्राम के नाम दर्ज है। इन जंगल, नदी की भूमियों को बहैसियत कथित मुख्तारनामा भगवत प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद द्वारा विक्रय भी किया जा रहा है। अवैध रूप से जंगल नदी की भूमि पर स्थापित ट्रस्ट की सत्यापन रिपोर्ट श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना ने एवं श्री हाभिद हुसैन तहसीलदार नगीना द्वारा किन्ही लोम लालच में माह सितंबर में तैयार करके श्री भगवत प्रसाद को प्राप्त कराई गई है। जालसाजी व घोखाघड़ी किये जाने के कारणों से ये "जंगल", "नदी" की भूमियां रेवेन्यू रिकार्ड से गायब होकर वर्तमान में भगवत प्रसाद व उसके परिवार व अन्य विभिन्न नामों पर व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा इन "जंगल", "नदी" भूमि को भ्रष्ट आचरण के कारणों से लंबी अवधि से मूल श्रेणी में दर्ज किये जाने हेतु कार्यवाही नहीं की है। जबकि इन ग्रामों की भूमियों की "जंगल", "नदी" भूमि की जालसाजी व फर्जीवाडा में योजनाबद्ध षडयंत्र करके सैवधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए कई प्रकार के अपराध जैसे धन शोधन अधिनियम उल्लंघन (मनी लॉड्रिंग), सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार, भारतीय न्यास अधिनियम -1882, भारतीय वन अधिनियम -1927 का उल्लंघन, जल अधिनियम -1974 का उल्लंघन, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम-1984 का उल्लंघन, पर्यावरण अधिनियम- 1986 का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक सम्पदाओं को योजनाबद्ध षडयंत्र करके क्षति पहुँचाने संबंधी अपराध घटित हुए है। महोदय कृपया शासकीय व जनहित में कार्यवाही करने की कृपा करें। 1- पत्र सं० 170/एस०टी०-2019 दिनांक 19-12-2019 कुल वर्क तीन 2- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12-2019 कुल वर्क दो 3- पत्र सं० 675/एस०टी०-उ०जि०अ०-नगीना-2020 दिनांक 07-02-2020 वर्क एक 4- पत्र सं० 689(2)/एस०टी०-उ०जि०अ०-नगीना-2020 दिनांक 19-02-2020 वर्क एक 5- पत्र सं० 712(3)/एस०टी०उ०जि०अ०-2020 दिनांक 18-3-2020 वर्क एक 6- पत्र सं० 349(3)/रा०लि०-2020 दिनांक 12-2-2020 कुल वर्क दो 7- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17-5-2020 कुल वर्क पांच 8- पत्र सं० 4491/25-14 वन प्रभाग दिनांक 29-5-2020 वर्क एक 9- पत्र सं० 39/एस०टी०-2020 दिनांक 18-6-2020 कुल वर्क दो 10- पत्र सं० 445/शि०प्र०-2019 दिनांक 01-07-2020 वर्क एक 11- पत्र सं० 543/एस०टी०-2019 दिनांक 3-10-2019 वर्क एक 12- फर्द खैतौनी ग्राम तेलीपाड़ा वर्क 06।

संलग्नक:- प्रार्थना पत्र वर्क 06 एवं अन्य 26 वर्क कुल 32 वर्क। दिनांक:- 01-08-2020 प्राथी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह निवासी मौ० कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश मो०नं०-8218813872। सेवा में, श्रीमान केबिनेट सचिव महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। श्रीमान गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली। श्रीमान

मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । श्रीमान गृह सचिव, महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर। विषय:- प्रार्थना पत्र दिनांक 01-08-2020 के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौ० कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर के रहने वाला है और कार्यालय उप जिलाधिकारी नगीना में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने शासकीय एवं जनहित का महत्वपूर्ण प्रकरण स्थानीय अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, किन्तु अक्टूबर -2019 से कार्यवाही नहीं हुई है। शासकीय एवं जनहित में व्हीसल ब्लोवर एक्ट के तहत जालसाजी आदि अपराधों के संबंध में अगिलेखीय साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 01-08-2019 महोदय की सेवा में प्रेषित किये गया । उपर्युक्त राजस्व ग्रामों के पुराने रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित जंगल (पुराने वनों) की भूमियों को अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से दुरभि सन्धि करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है तथा कई सौ वर्षों से शिवालिक पहाड़ियों से कोटद्वार सिद्धमली मन्दिर के पास से बारह मास बहने वाली प्रसिद्ध व पवित्र नदी खोह व उसकी सहायक नदी जो पुराने रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है, इस पवित्र नदी की भूमियों को भी अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से दुरभि सन्धि करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर दिया है । बरसात के दिनों में पवित्र नदी से जनपद बिजनौर के मैदानी इलाकों में कमी कमी मयंकर बाढ़ की स्थिति में बनती है। महोदय जंगल(पुराने वन) व पवित्र खोह नदी व उसकी सहायक नदी की भूमियों को भूमाफियाओं के द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों से दुरभि सन्धि करके विक्रय करने के अपराध किये गये है। महोदय नियमतः जंगल (पुराने वन) तथा पवित्र नदियां का लैण्ड यूज बदला नहीं सकता है। महोदय अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से जंगल (पुराने वन) तथा पवित्र खोह नदी व उसकी सहायक नदियों की भूमिया रेवेन्यू रिकार्ड में व्यक्तिगत सम्पत्ति दर्ज होने से प्रसिद्ध व पवित्र नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। महोदय कृपया समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें। संलग्न:- 1- पवित्र खो नदी व उसकी सहायक नदी का गूगल मैप 2- प्रार्थना पत्र दिनांक 01-08-2020 की प्रति। दिनांक 15-09-2020 प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह, निवासी मौहल्ला कस्साबान बिजनौर तहसील व धाना बिजनौर उत्तर प्रदेश " सादर निवेदन यह है कि मैं किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह निवासी मौ० कस्साबान का निवासी हूँ। एक लोक सेवक के पद पर तैनात हूँ। महोदय मेरे द्वारा तहसील नगीना जिला बिजनौर की वन, नदी, तालाब की हजारों हेक्टेयर भूमियों व परिसम्पत्तियों को फर्जीवाड़ा करके असंवैधानिक तरीके से हाईप्रोफाईल व्यक्तियों के नाम किये जाने व उनके असंवैधानिक कब्जे के संबंध में तहसील स्तरीय व जिला स्तरीय उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये गये, अभी तक नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महोदय राष्ट्रहित व जनहित में उच्च स्तर पर महोदय की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है- महोदय खतौनी फसली वर्ष 1359 में ग्राम राजपुर कोट परगना बदापुर भूमि भारत सरकार के खेतों की संख्या 8 है। खेत/खसरा संख्या 01 क्षेत्रफल 01-12-00 तालाब , ख० सं० 02 क्षेत्रफल 014-08-00 जंगल झाड़ीदार, ख० सं० 03, 04, 05, 06, 07 क्षेत्रफल क्रमशः 13-16-00, 00-09-00,

00-07-00, 00-18-00, 00-02-00 सड़क, खोरां 08 क्षेत्रफल 00-03-00 जंगल झाड़ीदार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 831-15-00 बीघा खास गानि दो हजार पांच सौ बीघा से अधिक भारत सरकार वन भूमि है। महोदय आज भी उपरोक्त सरकारी भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 ग्राम राजपुर कोट परगना बदापुर कागजात सरकारी में जंगल झाड़ीदार भारत वन भूमि दर्ज है। इस भूमि के संबंध में " जंगलात ऑफिशर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नगवशन पर कास्त करने की इजाजत दी। " यह पृष्ठांकन 20-6-1052 का दिखाया गया है। खेत नं० 02, 08 कुल दो हजार चार सौ तैतालीस बीघा से अधिक भूमि कुंवर चन्द्र भान सिंह के नाम श्रेणी - 1 में दर्ज की गई। ग्राम राजपुर कोट तहसील नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रफल यानि ग्राम की समस्त सरकारी भूमि दो हजार चार सौ बीघा से अधिक भूमि का फर्जावाड़ा हुआ है। सरकारी वन भूमि पर निवासीगण मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि के प्राईवेट व्यक्तियों व अन्य व्यक्तियों का नाम संक्रमणीय भूमिधर कर दिया है। नियमानुसार वन, तालाब की भूमि पर किसी को संक्रमणीय अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। यह असंवैधानिक है। महोदय ग्राम राजपुर कोट की गौति, ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में भारत सरकार के खेतों की संख्या 22 है। भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23-12-00, गाटा संख्या 4 रकबई 23-10-00, गाटा संख्या 8 रकबई 07-12-00, गाटा संख्या 10 रकबई 08-12-00, गाटा संख्या 12 रकबई 00-06-00 गाटा संख्या 14 रकबई 175-13-00, गाटा संख्या 16 रकबई 00-15-00, गाटा संख्या 18 रकबई 520-03-00, गाटा संख्या 20 रकबई 15-14-00, गाटा संख्या 22 रकबई 458-00-00 कुल 10 गाटे कुल रकबा 1234-07-00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बिस्वा भूमि जंगल झाड़ीदार भारत सरकार वन भूमि है। महोदय भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06-09-00 गाटा संख्या 06 रकबई 10-19-00 गाटा संख्या 9 रकबई 07-03-00, गाटा सं० 11 रकबई 35-15-00 गाटा संख्या 13 रकबई 01-14-00 गाटा संख्या 19 रकबई 32-04-00 गाटा संख्या 21 रकबई 02-13-00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96-17-00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 बिस्वा भारत सरकार नदी है। भूमि गाटा सं० 1 रकबई 00-04-00, गाटा संख्या 5 रकबई 00-09-00 गाटा संख्या 7 रकबई 00-14-00 गाटा संख्या 15 रकबई 00-02-00 गाटा संख्या 17 रकबई 02-03-00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03-12-00 बीघा पक्का यानि 09 बीघा 06 बिस्वा भारत सरकार रास्ता दर्ज है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुक्का भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि दर्ज है। महोदय खतौनी 1360 में "बहुवन श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी नम्बरी जैल (ग्राम तेलीपाड़ा परगना बदापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुक्का भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि) पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" ग्राम तेलीपाड़ा के समस्त

क्षेत्रफल धार हजार बीघा से अधिक भारत सरकार वन भूमि, नदी भूमि पर निवासीगण दिल्ली आदि के नाम संकमणीय भूमिधर कर दिया है। नियमानुसार वन, नदी भूमि पर किसी को संकमणीय अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। यह असंवैधानिक है। महोदय ग्राम राजपुर कोट, राजपुर, तेलीपाड़ा की भूमि असंवैधानिक ढंग से ग्राम जाहानाबाद, सुलेगाशिकोठपुर, बावन सराय, हल्लोवाली आदि ग्रामों की कई हजारों बीघा भारत के वन, वन भूमियों नदी की भूमियों को फर्जीवाड़ा करके हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के नाम व अन्य फर्जी नामों पर बढ़ाई और हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के कब्जे करा दिये गये। महोदय ग्राम राजपुर कोट, राजपुर, तेलीपाड़ा वन भूमियों के संबंध में राजस्व न्यायालय के द्वारा हाईप्रोफाइल व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये असंवैधानिक रूप से धारा-80 आदि में आदेश निर्गत कर रहे हैं और जांच के नाम पर खानापूति की जा रही है। महोदय प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित भारत सरकार की भूमि डिगल्य की तलहटी की वन भूमि है। इस येशकीगली वन, वन भूमियों, नदी की भूमियों, परिसम्पत्तियों को असंवैधानिक तरीके से हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के द्वारा कालोनी काटी जा रही है और अरबों/खरबों में कय - विकय कर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। यदि सरकारी भूमियों के मूल्यों का आकलन किया जाये तो लगभग तीस हजार करोड़ से अधिक आयेगा। वन, वन भूमि, नदी से संबंधित जाहानाबाद, राजपुर, राजपुर कोट तेलीपाड़ा आदि ग्रामों की कई हजारों एकड़ भूमियों के घोटालों के मामलों के षडयंत्र में तहसील स्तरीय अधिकारी एस०डी०एम०, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सेवा के आई०ए०एस०, वरिष्ठ आई०ए०एस०, वरिष्ठ आई०ए०एस०, आई०ए०एस०, आई०ए०एस० अधिकारियों के द्वारा पदेन दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन इमानदारी से नहीं किया गया। हाईप्रोफाइल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये वन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। हाईप्रोफाइल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये राजस्व विभाग की ओर से जंगल, नदी, तालाब की भूमियों को श्रेणी -1 संकमणीय भूमिधर दर्ज होने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई। हाईप्रोफाइल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये चकबन्दी विभाग ने वन, नदी, तालाब के ग्राम जाहानाबाद, राजपुर आदि व ग्रामों में चकबन्दी प्रकिया करने के लिये गजट कर दिया गया। महोदय जनहित में जिला विजनीर की तहसील नगीना में स्थित ग्राम राजपुर कोट, तेलीपाड़ा, जाहानाबाद, हल्लोवाली, बावन सराय, आदि में राष्ट्रीय सम्पत्ति वन, वन भूमियों, नदी भूमियों परिसम्पत्तियों के संबंध में जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की कृपा करें, ताकि पर्यावरण के जैविक संघटकों सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े -मकौड़े, सभी जीव-जन्तु और पेड़-पौधे तथा पर्यावरण के अजैविक संघटक पर्वत, चट्टाने, नदी, हवा इत्यादि सुरक्षित व संरक्षित रह सकें महोदय की अति कृपा होगी।

वर्ष 1359 फसली में बहुत से ग्रामों की जंगल झाड़ीदार भूमियां वर्तमान में वन विभाग के नाम, व नदियों की भूमिया नदी वन विभाग के नाम से दर्ज है। यह कहना निषेध नहीं है कि ग्राम शकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली ग्राम की जंगल झाड़ीदार भूमियां वन विभाग की नहीं है। जबकि डी०ए०एस०३०० नजीबाबाद वन प्रभाग विजनीर के द्वारा जिलाधिकारी विजनीर, उप जिलाधिकारी नगीना से जंगल झाड़ीदार भूमियों पर फर्जी प्रविष्टियों

को निरस्त कर भूमियों की फर्द उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा कई बार की जा चुकी है। ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली आदि 12 ग्राम के रेवेन्यू रिकार्ड 1952, 1953, 1954 के थे इसी कारण से अनौपचारिक रूप से फर्जी अमलदरामद भी 1952, 1953, 1954 की तिथि का दिखाया गया। यदि फर्जी अमलदरामद 1952, 1953, 1954 के अनुक्रम में कोई बैनाम किया गया तो 1952, 1953, 1954 या उसके बाद के वर्षों में किये गये बैनामों की छाया प्रतिया अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में अवश्यक एकत्र होती। दूसरे वर्ष 1952, 1953, 1954 में इन बारह ग्रामों की कुल क्षेत्रफल की भूमियां जंगल झाड़ीदार, नदी, तालाब की रेवेन्यू मुक्त रही है। फर्जी प्रविष्टियों को वर्ष 1952, 1953, 1954 की एक साथ एक ही लेख व एक ही तिथि में मात्र लिख कर लगानी दिखाई गयी है। यदि इन बारह ग्रामों की प्रविष्टियां वर्ष 1952, 1953, 1954 वर्ष की दिखाई गई है। इन फर्जी प्रविष्टियों की सत्यता को जानने के लिये यह जांच करना आवश्यक है कि इन 12 ग्रामों की भूमिया कब तक बिना लगानी रही है और कब से लगान की वसूली की शुरुवात की गई है। इसकी पुष्टि किसी पुष्ट राजस्व लगान रसीद अथवा अन्य पुष्ट राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य से ही निर्धारित की जा सकती है। वर्ष 1952, 1953, 1954 के राजस्व रिकार्ड में जंगलात ऑफिसर अथवा परगनाधिकारी नगीना के तरफ से वर्ष 1952, 1953, 1954 में नहीं उतारा गया है वल्कि यह फर्जी प्रविष्टियां है। वर्ष 1952, 1953, 1954 के कई वर्ष बाद की है अर्थात् जंगलात आफिसर अथवा परगनाधिकारी के हवाले से 1952, 1953, 1954 की प्रविष्टियां कूट रचित है। तहसील नगीना के नक्शा में इन बारह ग्रामों की सीमायें एक दूसरे से मिलती है, इनके सीमा स्तम्भ भी मौके पर नहीं लगे है। इन ग्रामों की भूमियों में अभी भी जंगलात जैसा आलम है। ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी, चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद, तेलीपाडा व अन्य ग्रामों के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/08/1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित अमलदरामदों के अनुक्रम में जो भी बैनामा पक्षों के बीच वर्ष 1968 के बाद हितबद्ध पक्षों के मध्य एक सोची समझी साजिश व गिली भगत से किये गये है। चकबन्दी विभाग द्वारा जहानाबाद आदि ग्रामों की वन विभाग की भूमियों की चकबन्दी की गई है। चकबन्दी विभाग ने रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज जंगल झाड़ी वन विभाग की भूमियों के चक अवैधानिक रूप काट दिये गये है। चकबन्दी विभाग ने भी जहानाबाद आदि ग्रामों की चकबन्दी करते हुए रेवेन्यू रिकार्ड में किये गये छल कपट को छुपाया गया है। पुराने भू चित्र में चक बनाकर चकबन्दी कार्य समाप्त दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 1 संख्या 1165/एक 1 2020 रा0 1 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला वन अधिकारी बिजनौर सदस्य, संयुक्त सचालक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग उ0प्र0 लखनऊ सदस्य, जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य, चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ अध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षित जांच आख्या तीन ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली से संबंधित दिनांक 08/10/2021 चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष जांच समिति ने अपने पत्र सं0 11/कैम्प/डिस्पैच अनुभाग /2021 दिनांक : 08 अक्टूबर 2021 से अपर मुख्य सचिव,

राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित की गई है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा अपने पत्र सं० ई 541 / एक 1 2021 रा० 1 राजस्व अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 08 दिसंबर 2021 के द्वारा शासन स्तरीय जांच कमेटी की जांच आख्या दिनांक 08/10/2021 जिलाधिकारी बिजनौर को संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ पुषित की गई कि जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के उक्त उल्लिखित गांवों में नियम विरुद्ध ढंग से भूमि को अभिलेखों में खुर्द बुर्द करके सरकार को हानि पहुँचाई गई है। सुसंगत प्राविधानों एवं नियमों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करते हुए सगेकित शासन एवं राजस्व परिपद को एक माह के भीतर प्रेषित किया जाये। जिलाधिकारी बिजनौर के द्वारा अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन से प्राप्त पत्र सं० ई 541 / एक 1 2021 रा० 1 राजस्व अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 06 दिसंबर 2021 जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा अपने पत्र सं० 1099 / 1 / ओ०एस०डी० दिनांक 08 / 12 / 201 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिजनौर को प्रेषित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिजनौर के द्वारा पत्र प्रमारी अधिकारी मूलख बिजनौर को पत्र सं० 03044 / आलि० प्रशा० दिनांक 12 दिसंबर 2021 एवं रिमाईण्डर दिनांक 10 / 01 / 2022 को प्रेषित किया गया तथा रिमाईण्डर सं० 3170 / आलि० प्रशा० / 2022 दिनांक 18 / 01 / 2022 को प्रमारी अधिकारी मूलख बिजनौर को प्रेषित किये गये है। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, शासन स्तरीय जांच कमेटी की जांच आख्या दिनांक 08/10/2021 के अंतिम पृष्ठ के पहला पैरा में जांच कमेटी के द्वारा यह बात में जांच आख्या में स्वीकार की है कि यह गंभीर प्रकरण जिला प्रशासन के संज्ञान में पर्याप्त समय पहले आ गया था, किन्तु राज्य सरकार की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रयत्न नहीं किये गये। दूसरे पैरा में ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली 2327 - 10 - 00 बीघा भूमि से अनाधिकृत कब्जेधारियों को हटाये जाने तथा ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/09/1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित कूट रचित अमलदरामदों से राज्य सरकार की भूमि को क्षति पहुँचाने तथा लामान्वित होने के लिये हितबद्ध पक्षों के विरुद्ध विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। महोदय शासन स्तरीय चार सदस्यीय जांच कमेटी की जांच आख्या में लिये गये निष्कर्ष के अनुसार जनाहित व न्यायहित में ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली 2327 - 10 - 00 बीघा भूमि के संबंध में भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/09/1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित अमलदरामदों के संबंध में **Criminal proceedings** आरंभ किया जाना अति आवश्यक है। महोदय अभी तक **Criminal proceedings** आरंभ नहीं की गई। महोदय से सानुरोध प्रार्थना है कि न्यायहित, शासकीय हित, जनहित में ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी, चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद, तेलीपाडा व अन्य ग्रामों के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/08/1953

की स्थिति की दिव्याई गई अवैधानिक तथा अव्यवस्थित, फलरहित अमलमसालों से राज्य सरकार की हजारों एकड़ भूमि को अति पट्टेवाने तथा लगावहित होने वाले हितभक्त पत्रों को विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें, महोदय की अति कृपा होगी दिनांक 20/02/2022 । प्राणी किसान भन्त पुन श्री स्ववही सिंह निवासी मोठ कस्बाबान निकट गेरत की चुंगी। बिजनौर जिला बिजनौर।

महोदय प्रकरण स्थानीय प्रशासन के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी में प्रकरण वर्ष 2019 में आ गया था। स्थानीय प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक सरकारी भूमियों, भूमियों के संबंध में सरसतल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। प्राणी एक जंचित याचिका सं० 824/2021, किसान भन्त ब्रजाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने दिनांक-09-2021 का आदेश दिया कि संबंधित मामों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से प्राईवेट लोगोंके नाम दर्ज कर खुरद भुरद करने के संबंध में एक जांच कमेटी बनाई जाये और तीन महीनों में जांच की जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन / प्रशासन स्तरीय जांच कमेटी आयुक्त महोदय चक्रवर्ती, लखनऊ उप संचालक चक्रवर्ती लखनऊ जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के द्वारा नामित सदस्य अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बिजनौर, जिला वन अधिकारी बिजनौर की कमेटी के संबंधित अधिकारियों के द्वारा मात्र पत्राचार करके एक प्रकार से खानापूर्ति की गई। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के दिनांक 24-09-2019 आदेशों के क्रम में शासन/प्रशासन स्तरीय गठित जांच कमेटी ने समस्त संबंधित मामों की जांच करनी थी, कमेटी ने मात्र तीन गांवों शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली के संबंध में जांच रिपोर्ट आभी अधूरी की गई है। कमेटी की जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। इस जांच कमेटी के अधिकारियों ने जागबूझकर उन व्यक्तियों को छुपाया है, जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति को खुरद भुरद करने का अपराध किया है और अवैधानिक रूप से काबिज है। जांच आख्या में यह भी स्पष्ट है कि जांच कमेटी के सदस्यों ने जांच आख्या की अशुद्ध रचना की है, वन (जंगल)भूमियों को नाम रखा की भूमियां इस लिये बताई गई ताकि किसी सम्पत्ति को सम्ग्रहण से बचाया जा सके और एक विधि की प्रतिच्छल रिपोर्ट भ्रष्टाचार पूर्वक सैभार की है ताकि सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को बचाया जा सके और सरकारी सम्पत्ति का अवैध रूप से अवैध व्यक्तियों को प्रयोग करने का शरता प्रशस्त किया जा सके। चक्रवर्ती आयुक्त महोदय लखनऊ के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को पत्र सं० 02/कैम्प/डिरपैच अग्रभाग/2021 दिनांक 10 अगस्त 2021 इस आशय का प्रेषित किया गया कि ग्राम सेलीपाड़ा, राजपुर कोट एवं अन्य गांवोंकी आख्या संलग्न हुई है। किन्तु ग्राम जहांगनाबाद की जांच आख्या आभी भी अपेक्षित है। जहांगनाबाद की जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही जांच सम्पन्न करके शासन को जांच आख्या प्रेषित की जायेगी। जिसमें 03 माह का समय लगना संभावित है। अपर महाधिवक्तामाननीयउच्च न्यायालय को

अवगत करने का कष्ट करें। चक्रवर्ती आमुक्त महोदय के पास नाम रोलीपाड़ा, राजपुर कोट, जतागामाव के प्रदेस में जांच आख्या नहीं की गई। क्योंकि चक्रवर्ती आमुक्त महोदय के पास नाम जतागामाव आदि ग्रामी जंगल वदी भूमियों की चक्रवर्ती भी गई है। चक्रवर्ती आमुक्त महोदय ने आपनेवचानमें अशुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की नहीं की है। चलिए अपर महासचिवता महोदय की तरफ से भारतीय उच्च न्यायालय में भारत राज्य प्रस्तुत किने गये। ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्होवाली की जांच रिपोर्ट 13 अगस्त को आमुक्त चक्रवर्ती महोदय के पास थी, जन्मी की अशुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की है, उसमें भी अवैध कब्जोदारों के नामों को सजागर नहीं किया गया। महोदय इन मामलों में ग्राम कान्दरगंज आदि ग्राम की भूमियों को महामहिम राज्यापाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रस्थापित गजट वर्ग 1952 में वन भूमि भोवित किया जा चुका है। जांच कमेटी के सदस्यों ने तथा प्रशासन/शासन स्तर के संबंधित अधिकारियों ने इस भीतर प्रकरण में कायम की व्यवस्था को नहीं माना है। इस मामले में हमारी क्षमति तक सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध व्यक्तियों का अवैध कब्जा बनाकर अपने पदेन तारिखों 'त पदेन कर्तव्यों' के विपरीत कार्य किया गया है। स्थानीय प्रशासन /शासन के संबंधित अधिकारियों का इस प्रकरण में जान बूझ कर कोई कार्रवाई नहीं करना यह भी दर्शाता है कि किसी कारणों से सरकारी भूमियों पर अवैध व्यक्तियों का अवैध कब्जा बनाये रखना, किसी उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा हित वद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध किसी प्रकार प्रशासनिक/अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई में कान्दरगंज की श्रेणी में आता है।

महोदय से भेरा विनम्र अनुरोध है कि ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्होवाली, राजपुर कोट, कान्दरगंज, गदपुरी, चम्पतपुर चकला, सुल्तान शिकोहपुर व जतागामाव, रोलीपाड़ा, मातल रायग, श्रीगजमेपुर शाहली, ओरगामाबाद, शाबूताला, पुन्तरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व भूमियों की मात्रह हजार एकड़, अरबों खरबों रुमे की सार्वजनिक भूमियों को चर्मा पहले रेवेन्यू रिकार्ड में औपचारिक एवं छलसाहित व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राईवेट स्त्रों के नाम श्रेणी-01 में दर्ज किये जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन व शासन के संबंधित अधिकारीगण केवल पत्राचार करके यह दिखाया चाहते हैं कि कार्रवाई हो रही है किन्तु वे अवैध व्यक्तियों के अवैध कब्जों का नगाये रखने में ज्यादा उत्सुक है। इसी लिये हमारे द्वारा धरातल पर कोई कार्रवाई भ्रष्टाचार कारणों से अथवा अन्य प्रलोभन से चशीभूत होकर चर्मा से जानबूझ कर नहीं की जा रही है। इन बात तथ्यों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन एवं शासन के संबंधित अधिकारीगण का अवैध कब्जोदारों से आपसी गठजोड़ है। इस भीतर प्रकरण के संबंध में सी०पी०आई० अथवा अन्य किसी समतल जांच एजेंसी से एफ०आई०आर० वर्ज कराकर जांच कराये जाने की क्षुपा करें और तारिखों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की क्षुपा करें, जिसको देखकर ऐसी भलती कोई सोमारा न कर सके और हजारों एकड़,सम, भूमियों की भूमियों को जल जल से जल खाली कराकर वृशासोण कराये जाये ताकि आस पास के जिलों के निवासियों को बतल छता और स्वच्छ वातावरण मिल सके। आशा है कि आप गेरी इस शिकायत को गंभीरता से लेंगे और जनहित में इस रागरवा का निवारण करेंगे।

3

संशोधन की अति शून्य होती।

संशोधन :-

श्री प्रकाश कुमार, शिक्षा एवं अधिकांश, विज्ञानी सदस्य, श्रीमती प्रति जयसुन्दर, असा विज्ञानिकी शिक्षा
विज्ञानी सदस्य, श्री प्रदीप कुमार कुमार संयुक्त संसदस्य सदस्य श्री सुनील कुमार लखनऊ सदस्य,
श्री दीपक शर्मा संसदस्य सदस्य श्री अजय कुमार द्वारा संशोधन कार्य की प्रकाश प्रति।

दिनांक- 28-04-2022

श्रीमती विजय लक्ष्मी


पुत्र श्री सुनील सिंह शिक्षा की संसदस्य

संसद नं 247 विज्ञानी असा व सदस्य व शिक्षा विज्ञानी

संसद प्रदेश

प्रति शिक्षा :-

श्रीमान आशुतोष जहास्य सुरादाबाद मण्डल
सुरादाबाद की सेवा में सूचना ।



नगीना सांसद ने अपने क्षेत्र में सोनभद्र जैसी घटना की आंशका जताई गिरीश चंद्र ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, भूमाफिया पोर्टल पर भी दर्ज कराई शिकायत



विधान केसरी समाचार

बिजनौर। उत्तर प्रदेश की नयीन सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में सोनभद्र जैसी हत्याओं वाली घटना की आंशका जताई है और भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कर करुब 60,000 बीघा सरकारी भूमि माफियाओं से मुक्त करने की मांग की है। सांसद गिरीश चंद्र ने अपने द्वारा भेजी गई शिकायत में कहा है कि विगत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब की थी, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश के जिलों से आई रिपोर्टें में न जाने कितने भू माफियाओं द्वारा सरकारी

जमीनों पर अवैध कब्जा होना पाया गया था। जिनमें से कुछ सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त भी करवाया जा चुका है परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना तहसील क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़े स्तर पर भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूर्व समय से ही कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन माफियाओं ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीनों को अपने नाम भी कर लिया है। इन जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लोगों द्वारा बहुत समय से उच्च अधिकारियों से की जाती रही हैं परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने कहा है कि बिजनौर जिले की तहसील नगीना के गांव तेलीपाड़ा जहानाबाद राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों की करीब साठ हजार बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए है स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें होने पर जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच में जमीनों के अभिलेखों में कूट रचना भी पाई गई है मगर दबंग भू माफियाओं के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि यह खेल जंगल झाड़ी, तालाब, नदी रास्तों से



होता हुआ असंक्रमणाय से संक्रमणाय होकर कई बार खरीद-फरोख्त करते हुए खेती, टेफा खेती व अवैध प्लांटिंग तक जा पहुंचा है। ऐसा ना हो कि जुलाई 2019 में प्रदेश के सोनभद्र जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर माफियाओं द्वारा जिस तरह दर्जनभर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था कहीं ऐसा मेरे क्षेत्र में भी ना हो जाए, क्योंकि आए दिन भूमाफियाओं द्वारा यहां भी जमीनों के कब्जों के लिए खींचतान होती रहती है। उन्होंने भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है ताकि लाखों करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाए और सरकार के राजस्व में वरदान बने।

स्वामी मंजेश कुमार के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक विनेश ठाकुर द्वारा विधान केसरी प्रिंटिंग प्रेस जी-126, फेस-2, ट्रांसपोर्ट नगर

दर्ज थी। खतौनी 1360 में एक जालसाजी/फ्रॉड एण्ट्री "बहुम श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी नम्बरी जैल (ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि) पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदरराज सिंह निवासी हाल विजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" की गई है। इस तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

2- महोदय जमींदारी विनाश अधिनियम 1952 और नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता था। इस तथ्य को छिपाया गया है।

3- महोदय जमींदारी विनाश अधिनियम 1952, नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 के दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 4004-08-00 (चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा) कच्चा बीघा भूमि किसी व्यक्ति / विशेष के नाम हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता है ? इस तथ्य को जांच भी छिपाया गया है।

4- महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदरराज सिंह के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को बाद में विभिन्न व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित हो रही है, इस तथ्य को जांच छिपाया गया है।

5- महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को फ्रॉड एण्ट्री के कारणों से भिन्न-भिन्न खाता संख्या व भिन्न गाटा संख्याओं में दर्ज किये जाने के तथ्य को छिपाया गया है।

6- महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में नदी जल श्रोतों को कोई बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती है। यदि पहुँचाई गई है तो उसको पूर्व की भांति सारथापित किया जाये। फ्रॉड एण्ट्री से नदी भूमि को क्षति पहुँचाने संबंधी तथ्यों को जांच में छिपाया गया है।

महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदरराज सिंह के नाम दर्ज की गई। प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दृष्टया एफ0आई0आई0 का मामला बनता है। अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर एफ0आई0आई0 दर्ज करवाकर सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा) बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को पर्यावरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम व प्राकृतिक श्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

इसी प्रकार का राजपुर, कुआ खेड़ा आदि ग्रामों में जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमि के संबंध में घोटाला हुआ है। जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमि हजारों बीघा भूमिया एक ही व्यक्ति विशेष के नाम अंकित फ्रॉड करके अंकित की गई। राजस्व विभाग, वन विभाग व चकवन्दी विभाग सहमसाजगी इन ग्रामों की चकवन्दी की जा रही है। इन ग्रामों की जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमियों को सुरक्षित करने हेतु चकवन्दी प्रक्रियाओं को रूकवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। महोदय की अति कृपा होगी।

दिनांक:- 29-12-2019

पाथ
किशन चन्द पुत्र श्री खतौनी सिंह
निवासी गौ0 कससादान विजनौर जिला विजनौर
आशुलिपिक, उप जिलाधिकारी, नगीना।

025/198/117 ③
10/11/19

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
बिजनौर।
प्रभागीय निदेशक महोदय,
नजीबाबाद वन प्रभाग बिजनौर।
उप-संचालक चक्रवर्ती महोदय,
बिजनौर।

क. उप. में उल्लेखित विदुषों
के स्तम्भ स्पष्ट जाकर 15
दिन के अन्दर है, इस स्तम्भ
में यह चीज बनाकर उद्योग का
विस्तारण/जांच है।

06/04/20

महोदय,

सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौहल्ला कासबाबा नगीना बिजनौर का निवासी है। प्रार्थी लोक सेवक के पद आशुलिपिक उप जिलाधिकारी नगीना के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी नगीना के परगना बड़ापुर के विभिन्न ग्रामों में जालसाजी / फ्रॉड करके सरकारी भूमि को भूमिधरी में दर्ज किये जाने के संबंध में प्रार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते एक शिकायत दिनांक 2-10-2010 उच्चाधिकारियों की गई। ग्राम तेलीपाड़ा की जंगली भूमि, नदी भूमि, सरता भूमि 1334-07-00 के घोटाले के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कद रखा है। बड़े साजिश के तहत घोटाला किया गया है। शिकायत पर प्रेषित जांच आख्या सं० 634 दिनांकित 19-12-2019 प्राप्त कराई गई है, वह अभिलेखीय साक्ष्यों से भिन्न है।

ग्राम तेलीपाड़ा के संबंध में यह आख्या प्रेषित की गई कि "ग्राम तेलीपाड़ा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें जंगल रास्ता नदी किसी भी खसरा नंबर में अंकित नहीं है। सभी खसरा नं० कृषकों के नाम वर्तमान में दर्ज हैं, तथा क्षेत्रीय लेखपाल ने भू-अभिलेखागार बिजनौर से सरकारी कार्य हेतु राजस्व अभिलेख प्राप्त किये। ग्राम तेलीपाड़ा परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर की खेवट चौसाला 1356 से 1359 फसली में थोक -पट्टी का नम्बरदार" राजकुवर चन्द्रमान सिंह अंकित है। जैसा कि स्तम्भ 2 में अंश (1) एक दर्शाया गया है, तथा स्तम्भ "9" में स्वामी का नाम -पिता का नाम व निवासी स्थान "राजकुमार चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह राजपूत निवासी काशीपुर नैनीताल खेवट में अंकित है। खेवट की छाया प्रति संलग्न है। ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर तहसील नगीना की खतौनी 1359 फसली में खेवट नं० 1 चन्द्रमान सिंह साहब का नाम अंकित है। जिसमें खसरा नं० 10 (कुल) जंगल झाड़ी व 7(कुल) नदी व 5 (कुल)रास्ता में दर्ज हैं। ग्राम में कुल खसरा नं० 22 हैं, जो खेवट नं० 1 में दर्ज है। ग्राम तेलीपाड़ा की 1360 फसली की खतौनी में कुल खसरा 22 पर कुल रकबा पर आदेश अंकित है कि श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी नम्बरी जैल पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री राजा सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर का वतौर भूधेवर दर्ज कागज पटवारी किया जाये। "मकल खतौनी संलग्न है; खतौनी 1362 फसली में जमन-1 में कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह हाल निवासी बिजनौर का नाम ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी में अंकित है तथा सम्पूर्ण खसरा नं० 1 लगायत 22 पर नाम दर्ज हैं वर्तमान में जंगल झाड़ी सरता नदी का कोई खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।"

महोदय धारतविकता यह है कि -

तहसीलदार नगीना व उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा उच्चाधिकारियों को अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक आख्या प्रेषित नहीं की गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तहसीलदार नगीना व उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा लेखपाल द्वारा टंकित कराई गई आख्या ही प्रेषित की गई है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 01 में भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23-12-00, गाटा संख्या 4 रकबई 23-10-00, गाटा संख्या 8 रकबई 07-12-00, गाटा संख्या 10 रकबई 08-12-00, गाटा संख्या 12 रकबई 00-06-00 गाटा संख्या 14 रकबई 175-13-00, गाटा संख्या 16 रकबई 00-15-00, गाटा संख्या 18 रकबई 520-03-00, गाटा संख्या 20 रकबई 15-14-00, गाटा संख्या 22 रकबई 458-00-00 कुल 10 गाटे कुल रकबा 1234-07-00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बीघा भूमि जंगल झाड़ीदार दर्ज / प्रदर्शित है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 02 में भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06-09-00 गाटा संख्या 06 रकबई 10-19-00 गाटा संख्या 9 रकबई 07-03-00, गाटा सं० 11 रकबई 35-15-00 गाटा संख्या 13 रकबई 01-14-00 गाटा संख्या 19 रकबई 12-04-00 गाटा संख्या 21 रकबई 02-13-00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96-17-00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 बीघा नदी दर्ज / प्रदर्शित है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं० 03 में भूमि गाटा सं० 1 रकबई 00-04-00, गाटा संख्या 5 रकबई 00-09-00 गाटा संख्या 7 रकबई 00-14-00 गाटा संख्या 15 रकबई 00-02-00 गाटा संख्या 17 रकबई 02-03-00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03-12-00 बीघा पक्का यानि 09 बीघा 06 बीघा सरता / प्रदर्शित है।

तहसीलदार नगीना अथवा उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा रकबा कोई जांच या अभिलेखों का परीक्षण नहीं किया गया। जिसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है-

1- महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बड़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी, सरता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बीघा) बीघा पुस्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बीघा भूमि

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "SOC" and "03-04-20".

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "No 218-1" and "SDM Nagina".

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "Tulsi" and "03-04-20".

कार्यालय-आदेश

मा० सांसद श्री गिरीश चंद्र, लोकसभा नगरीना द्वारा मा० मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में सैनभद्र जैसी हत्याओं वाली घटना की आशंका जताने एवं भूमिफिया पोर्टल पर, तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जाहनाबाद, राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराये जाने सम्बन्धी समाचार जनपद में प्रकाशित होने वाले विधान केसरी समाचार-पत्र में, विस्तार से प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना संज्ञानित हुआ है। इसी सम्बन्ध में एक अन्य शिकायतकर्ता श्री सिद्धचन्द्र पुत्र श्री खवानी सिंह, निवासी मोहल्ला करसायान, नगर व तहसील बिजनौर द्वारा भी समन्वित शिकायती प्रार्थनापत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की गहन जांच कराकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जाहनाबाद, राजपुर कोट एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की सरकारी/सीलिंग आदि की भूमियों के वर्तमान अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलानकर, स्थलीय एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच करते हुये, तथ्यात्मक जांच अन्वया संगत अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार जांच समिति की गठन किया जाता है -

- | | |
|---|-----------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर | - अध्यक्ष |
| 2. उपजिलाधिकारी, नगीना | - सदस्य |
| 3. उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर | - सदस्य |
| 4. बन्दोबस्त अधिकारी, चक्रवर्ती, बिजनौर | - सदस्य |
| 5. तहसीलदार, नगीना | - सदस्य |

उपरोक्त जांच समिति अतिशीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट तैयारकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

(रमाकान्त पाण्डेय)
जिलाधिकारी, बिजनौर।


कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख-अनुभाग), बिजनौर।

पत्रांक 454 /सात-भूलेख डी.एल.आर.सी.

दिनांक 11 जून, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर।
2. उपजिलाधिकारी, नगीना।
3. उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर।
4. बन्दोबस्त अधिकारी, चक्रवर्ती, बिजनौर।
5. तहसीलदार, नगीना।


11.6.20

नगर भूमि बन्द - 1 अतिरिक्त को सात भूमि व अन्वय को कुल पत्रांक 1118 पुत्र सात अन्वय सिंह को सात अन्वय
यस नाम दर्ज है एक इसी प्रकार पर कुल पत्रांक 1118 द्वारा अन्य पत्रांक को भूमि अन्वय सिंह को सात अन्वय सात अन्वय


11.6.20



जिलाधिकारी,

बिजनौर।

महोदय,

मा० सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा० मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील-नगीना के ग्राम- तेलीपाडा, जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी-नाले, तालाब व रास्ता आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एवं एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि० मा० कस्सावान, नगर व तहसील- विजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक-11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। जांच समिति में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), उपजिलाधिकारी नगीना व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम- मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम- मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक-पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा-बिस्वा - बिस्वांसी	क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	जमन	रकबा-बिस्वा - बिस्वांसी
1	1	जंगल	14	517-18-0	6	2	नदी	15	1-19-0
2	3	जंगल	14	156-16-0	7	4	नदी	15	6-0-0
3	7	जंगल	14	5-2-0	8	5	नदी	15	4-3-0
4	9	जंगल	14	4-10-0	9	6	नदी	15	88-12-0
5	11	जंगल	14	25-5-0	10	8	नदी	15	35-9-0
योग				709-11-0	11	10	नदी	15	13-16-0
कुल गाटे :- 11 कुल क्षेत्रफल :- 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149-19-0

ग्राम- मुर्तजाबाद की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगल के 5 गाटे, जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 6 गाटे पर यह आदेश अंकित नहीं है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन-5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता० 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल, व नदी के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन-14 और जिमन-15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन-5 और जिमन-6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में 30प्र० जमी० वि० एवं 70प्र० अधि० का क्रियान्वयन उक्त ग्राम में किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्रश्नगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन-1 क आसामियान जेरे काश्त भूमिदार मद 1 जिन्होंने दस मुनाह जमा कर दिया हो के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह सा० हाल बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय-समय पर कय विक्रय के कारण उक्त गाटा अलग-अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

सन् फसली- 1359 फसली पर अंकित आदेश "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।" के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या-425/एफ०एस०ओ०-2020 दिनांक- 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-419/25-14 दिनांक- 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अशिलेख प्रभागीय

अ
-तलक

यू०

बि.

अ

15/11/20

कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्यात करने के लिये सक्षम नहीं है।

सन फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता० 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील- नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1360 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील-नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम-मुर्तजाबाद की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल, नदी, की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम- मुर्तजाबाद के प्रकरण में दो आदेश "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी" तथा "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता० 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार

भाग अब्दल

नाम मालिकान

कुंवर चन्द्र भान सिंह साहब खेवट नम्बर 1

जमन 1 सीर मालीकान लगायत जमन 13-इलाके, जाती-नदारद

जमन 14 आराजी काबिल जराअत

1-प्रती जदीद- नदारद

2-प्रती कदीम- नदारद

अ-जंगल हस्वा कानून जंगलात

ब-इमारती लकडी जंगल नदारद

व-दिगर दरख्तान झाडी वगैरह- नीचे दर्ज है।

ज-दिगर बंजर काबिल जरायत- नदारद।

के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,7,9,11, कुल 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत जंगल दर्ज अभिलेख है।

1358 फसली की खतौनी ग्राम मुर्तजाबाद में जमन 15 के अन्तर्गत 1-आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10 कुल मीजान 6 कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी में कुल मीजान कुल देह 11 कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अब्दल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भाँति जमन 14 के अन्तर्गत जंगल के 5 गाटे तथा जमन 15 के अन्तर्गत नदी के 6 गाटे दर्ज है। जंगलझाडीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या 9,10,11 में आदेश अंकित है कि "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी के खाता संख्या 2 के सापेक्ष कोई आदेश अभिलिखित नहीं है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जमन 5 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता० 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"

इसी 1360 फसली की खतौनी के अन्तर्गत जमन-6 मद 1 के अन्तर्गत नदी अंकित है जिसमें गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10 कुल गाटा 6 तथा कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

15/11/20

यहाँ निम्न बिन्दुओं पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि -

- (1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम में प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है ?
- (2) जंगल झाड़ी भूमि पर क्या जंगलात आफिसर का अधिकार विधिक रूप से है कि वह जंगल झाड़ी हटवाकर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते हैं ?
- (3) 1359 फसली वर्ष की खतौनी में दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का क्या आधार है ?

बिन्दु संख्या 1-

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली तक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाड़ी अंकित भूमि पर जंगल झाड़ीदार ही अंकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नहीं की थी। इसकी पुष्टि 1360 फसली की खतौनी पर उपलब्ध फार्म प-15 पर (लैंड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खों द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा तैयार प-15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360 फसली में ग्राम में काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359 फ० में श्रेणी 14 की जंगल झाड़ी भूमि पर जंगल झाड़ी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैद्य या अवैद्य काश्तकारी नहीं थी। उ०प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में कोई भी अंकन परिवर्तन या संब्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था में उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखों) में अंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत भी जंगलात आफिसर को इस प्रकार अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। उ०प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमों की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैद्य एवं फर्जी प्रकृति का समिति जाँच में पाती है। कोई भी अधिकार लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का सीधे अंकन तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नहीं दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नहीं रहा है।

बिन्दु संख्या 2-

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी में दर्ज जिमन 14 की जंगल झाड़ी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप में नहीं दिया था जिससे वह जिमन-14 की जंगल झाड़ी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान करे। किसी भी विधि व्यवस्था में नहीं है कि अवैधानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख खतौनी में काश्त करने के लिये ग्राम की समस्त हजारों बीघा भूमि पर दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैधानिक, अनियमित एवं फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नहीं की जैसा कि 1360 फसली खतौनी में रक्षित प्रपत्र प-15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन-14 की जंगल झाड़ी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पडा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360 फ० प-15 में जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नहीं है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन, फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

बिन्दु संख्या 3-

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी में जिमन 14 की जंगल झाड़ीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेष विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्त करने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणों से है -

(क)- उ०प्र० भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) में दी गयी परिभाषा के क्रम में जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नहीं राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी में स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नहीं किया जा सकता है।

Feb.

200

Jan.

15/10/20

(ख)- उ०प्र० भू० राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी में जिमन-14 से जंगलझाडीदार के नाम से एवं जिमन-15 में नदी के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नहीं था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो स्पष्ट है कि उक्त भूमि सदैव सार्वजनिक प्रकृति की रही है।

(ग)- उ०प्र० भू०रा० अधिनियम 1901 की धारा 33 में स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नहीं दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अंकित काश्तकरने के आदेश के बाद 1360 फ० की खतौनी में उपलब्ध प-15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नहीं हुयी जैसा कि प 15 में काश्त नदारद अंकित है।

(घ)- जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन-14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पट्टेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की नहीं थी।

(ङ)- उ०प्र० काश्तकारी अधिनियम 1939 में दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को काश्त पर देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नहीं रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम, जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विश्लेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि मा०सर्वोच्च न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पारित विधि व्यवस्थाओं में अवधारित किया गया है कि खतौनी में किये गये इन्द्रराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नहीं है कि ऐसा इन्द्रराज विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तिलकधारी बनाम रामजी ने 1960 एवं ए०जे० 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम, ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 100 विश्वविजय बनाम फखरुल हसन, ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ०प्र० जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखों का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषकों और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियों के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी में निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जाँच रिपोर्ट में करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतौनियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ०प्र० भू०लेख नियमावली के अध्याय 8 नियम 121 के प्रपत्र प-11 के पैरा 124 के क्रम में बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है-

क्र०सं०	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघों में या एकड़ में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
उन क्षेत्रों के लिये जिनमें 1950ई०का उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है							

तथा 1360, 1361 एवं 1362 फसली वर्षों की खतौनियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ०प्र० भू०लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम 121 में प-11 के प्रारूप पर पैरा 124 के क्रम में बनी है जो निम्न है-

खाता खतौनी सं०	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघों या एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञायें यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी उन क्षेत्रों के लिये बनी थी जिनमें 1950 ई० में उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम में 1359फ० में उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं तथा खतौनिया उ०प्र० भू०लेख नियमावली

AM
15/11/20

SOC

Jan. and

15/11/20

के पैरा 124 में दी गयी खेवट खातो के अन्तर्गत भूमियों के क्रम में दी गयी व्यवस्था के तहत ज़िम्न 1 से लेकर 15 तक बनी है खतौनी के भाग अब्दुल 1 नाम मालिकान श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) अंकन के साथ ज़िम्न (1)सीर मालिकान लगायत ज़िम्न 13 तक की जोत नदारद अंकित है। लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प-15 पर भी जोत नदारद अंकित है तथा ज़िम्न-14 आराजी काबिल जिरायत में जंगल झाड़ीदार और ज़िम्न-15 में नदी अंकित है।

जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क-124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियों को ज़िम्न 1 से 6 तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क-121 में परिभाषित पक-11 के तहत है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952-जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक -11 पर प-11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जाँच में यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य में निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी में ज़िम्नवार अंकन निम्नवत है-

1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला विजनौर फार्म 1 साल 1360 फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प-क 11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतौनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी में ज़िम्न 1 लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम में किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नहीं था तथा 1360 फसली के प्रारम्भ में काश्त की कोई भूमि नहीं थी। फसली 1360 में ज़िम्न-5 में झाड़ियों का जंगल काबिल जरात जंगलझाड़ीदार के नाम कुल 5 गाटो में रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा भूमि अंकित है तथा ज़िम्न-6 में नदी के नाम 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है। यह भूमिया जमींदारी विनाश के पूर्व 1359 फसली की खतौनी में प-11 पर ज़िम्न-14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नहीं था। यहाँ निहित उपरोक्त प्रपत्रों के अंकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्ध करते हैं कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ। मध्यवर्तियों के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम में आबादी न होने के कारण व काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नहीं हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू-शुदा क्षेत्रों के लिये बनाने पर था और ज़िम्न-14 जंगलझाड़ीदार अंकन के कुल 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते में दर्ज नहीं थी बल्कि जंगलझाड़ीदार के रूप में दर्ज थी। खतौनी 1360फसली में ज़िम्न-5 में अंकन इसी प्रकार 1359 फसली की ज़िम्न-15 में दर्ज नदी के रूप में 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा थी को 1360फसली को नियमानुसार ज़िम्न-6 में दर्ज किया गया। 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम मुर्तजाबाद की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 में जंगलझाड़ीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखों 1360 फसली खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360 फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं के स्तम्भों में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है वर्तमान में राजस्व अभिलेखागार में रक्षित ग्राम के अभिलेखों में 1361 फसली की खतौनी उपलब्ध नहीं है। 1360 फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक में एक प्रविष्टि 1361 फसली (1जुलाई 1953 से 30 जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी।

बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा मुर्तजाबाद पर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। इस अमलदरादमद के नीचे गाटा संख्या 1 लेकर 11 तक के सभी नम्बरान अंकित है तथा कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा अभिलिखित है।

उपरोक्त प्रविष्टियों में से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360 फसली एवं 1361 फसली के लिये मान्य थी क्योंकि उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां 1361 फसली वर्ष की हैं और 1360 फसली की खतौनी में दर्ज है। 1361 फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360 फसली की खतौनी में की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360 फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली में मान्य थी। वर्ष 1360 फसली में अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियों की जाँच समिति निम्न कारणों से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1-दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना।

2-जब से खतौनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ0 यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखों में ग्राम की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि सदैव जंगल,नदी के रूप में दर्ज रहना।

4-उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारों का ना पाया जाना।

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date stamp "15/11/20".

5-1359 फसली तक नाम मालिकान मे कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नहीं थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगल एवं नदी के रूप में दर्ज 859 बीघा 10 बिस्वा सार्वजनिक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम मे नहीं थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोत व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगल झाडीदार एवं जिमन 6 मे नदी के रूप मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फसली एक जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 859 बीघा 10 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगल झाडी व नदी के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फसली के विशेष विवरण मे दर्ज है जिससे समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र उदेशज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर के नाम अंकित कर दी गयी। जमींदार को बगैर काशत की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से किया गया।

7-उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षों एवं झाड़ियों से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तों की भूमिया पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8-ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार एवं नदी से सम्बंधित कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियों के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमियों पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

9-धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काशत के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था एवं उक्त भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 195(5)मे दी गयी विधिक व्यवस्थानुसार रिक्त भूमि नहीं थी। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नहीं था।

10-धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नहीं जा सकती थी।

11-परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे एक साथ एक ही व्यक्ति को ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जंगल नदी की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नहीं दिया गया है।

12-1360 फसली वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाडीदार नदी के रूप में दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काशतकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नहीं रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम,स्वत्व जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।

13-ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन-5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियों पर कोई लगान की देयता नहीं थी। जोत या काशत के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैद्य एवं अवैद्य कब्जा नहीं था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमींदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (ख) से भी आच्छादित आदेश नहीं है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नहीं है।

14-मूलतः 1360 फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक-11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतौनी मे अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर थी वैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है-

क-ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।

ख-ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशों के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले।

धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नहीं बना। स्वतः भूमिधर काशतकारों एवं अन्य काशतकारों की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360फ0 मे स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नहीं है कि जो भूमि जिमन 14 जंगल जिमन 15 नदी की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगल एवं जिमन 6 नदी की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो, उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित कर सकते हो। भूमि पर कभी भी कोई काशत नहीं हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है।

dy
ed

dyoc

Jan and

AT

15-जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख खेवट और खतौनी हाते थे। खतौनी 1359 फसली खतौनी अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 इस ग्राम के जमींदार थे। 1360फसली के खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एवं जमींदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 में वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमें जिमन-5 में जंगल एवं जिमन-6 में नदी नियमानुसार दर्ज हुई।

16-1359फ0 वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट में मालिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359फ0 तक के ग्राम में कभी भी जोत की भूमि नहीं थी सभी भूमिया जिमन-14 एवं 15 की थी। खेवट मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसे समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अंकन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमें कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत में है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकार अभिलेख रखा जाता है का निर्माण 1360फ0 में हुआ। ग्राम में कभी भी कोई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगल की भूमि जिमन-5 जंगल में दर्ज हुई एवं जिमन-15 नदी की भूमि जिमन-6 नदी में दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानों के विरुद्ध पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अंकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।


17-यू0पी0लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नहीं थे। स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह को श्रेणी-14 एवं श्रेणी-15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नहीं थे। जैसा कि उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 8 से भी स्पष्ट है।

18-अधिसूचना संख्या 365/1-क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट में 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यों के करने के तहत कलेक्टर की शक्तिया प्राप्त है। ग्राम में उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नहीं हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 में खतौनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नहीं किया जा सकता था।


19-भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की प्रास्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम में सार्वजनिक उपयोग जंगल, नदी पर कभी भी किसी प्रकार का काश्त एवं काश्तकारों का वर्णन 1362फ0 की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखों में नहीं मिलता है। फसली 1360-61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प-15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है। ऐसी स्थिति में 1361फ0 वर्ष की खतौनी में नदी जंगल की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।


20-ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि में दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियों में कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नहीं रही और जमींदारी विनाश के बाद 1360 फ0 में भी निर्मित चार जोतदारों/काश्तकारों में कोई भी ग्राम में काश्तकार नहीं था। विशुद्ध रूप से ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं नदी के रूप में दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नहीं है। इस भौमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण, प्रबंधन, संरक्षण, और नियंत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नहीं होती है।

21-खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क-121 के अभिलिखित है इसमें लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (6) एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियों की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काविज या अध्यासीन हो। ग्राम में 1360 फसली तक समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं था। प्रपत्र-15 1360 फसली से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमें विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व रियायती लगान वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन-14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6 में अंकित हुई है कोई काश्तकार नहीं कोई जोत क्षेत्र नहीं है कोई लगान नहीं है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनघड़न्त एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपयोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नहीं है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नहीं है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नहीं है क्योंकि सम्बंधित अधिकारी द्वारा इसे अवलोकित नहीं किया गया तथा तत्समय खतौनी में आदेश का अंकन व अवलोकन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नहीं









था। समिति जाँच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एवं फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह साठ हाल विजनौर अंकित है और इसमें सभी ज़िम्न-5 जंगल के 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा और नदी के 6 गाटा रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतौनी में सार्वजनिक उपयोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटे की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी और खतौनी में अब्बल ज़िम्न एक लिखकर उसकी विशेषता आसामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रों में ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहाँ की खतौनिया प्रपत्र प-क-11 पर उ०प्र० भूलेख नियमावली के पैरा क-124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। आसामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकन की व्यवस्था ज़िम्न के तहत इसमें परिभाषित नहीं है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रक्रिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपयोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करने के अधिकार किसी अधिकारी को ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओं में नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार का यह आदेश उ०प्र० काश्तकारी अधिनियम 1939 में अध्याय 3 की धारा 21 में परिभाषित समस्त आसामियान के कम का नहीं है और उ०प्र० जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21, 187, 187क और 210 ग के कम का भी अंकन नहीं है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जाँच में पाती है।


22-मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ० का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नहीं थी। इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360 फ० निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नहीं हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ०प्र० ज०वि० एवं अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी में सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

उक्त के साथ 1362 फ० खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि आसामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर ज़िम्न 1 में कुंवर चन्द्रभान सिंह जमींदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर आसामियान दर्ज हुआ। आसामियान को उ०प्र० ज०वि० अधिनियम की धारा 153 व 154 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों को अंतरित हुयी है।

वर्तमान में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर-6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फ० में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमें ग्राम मुर्तजाबाद की समस्त भूमि कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप में ज़िम्न-5 एवं 6 में क्रमशः जंगल झाडीदार एवं नदी के रूप में दर्ज हुई। 1361फ० में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त, अनियमित, स्वेच्छाचारी, फर्जी कूट-रचित बिना किसी न्यायालय के आदेश रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का हस्तांतरण व अंकन हुआ है। 1360फ० की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक ज़िम्न-14 एवं ज़िम्न-15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नहीं था। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमों अधिनियमों की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन होना नहीं पाया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित कूट-रचित तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षों के सभी आदेश स्वतः विधि विरुद्ध एवं शून्य प्रकृति के हो जाते हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में जाँचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है

क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा-बिस्वा - विस्वांसी	क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	श्रेणी	रकबा-बिस्वा - विस्वांसी
1	1	जंगल	5	517-18-0	6	2	नदी	6	1-19-0
2	3	जंगल	5	156-16-0	7	4	नदी	6	6-0-0
3	7	जंगल	5	5-2-0	8	5	नदी	6	4-3-0
4	9	जंगल	5	4-10-0	9	6	नदी	6	88-12-0
5	11	जंगल	5	25-5-0	10	8	नदी	6	35-9-0
योग				709-11-0	11	10	नदी	15	13-16-0
कुल गाटे :- 11 कुल क्षेत्रफल :- 859 बीघा 10 बिस्वा								योग	149-19-0



 15/11/20

मा0उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओं के तालाब, पोखर, नदी, चारागाह आदि को उनके मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जनहित याचिका संख्या 1789/2019 दिनेशचन्द्र सचान बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2019 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को मूल रूप में संरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।


समय समय पर उक्त श्रेणी 5 व 6 की भूमि के हस्तांतरण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गये हैं किन्तु नियमतः श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि अहस्तांतरणीय है। अतः इस प्रकार श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वर्तमान खतौनी के अनुसार दर्ज विभिन्न व्यक्तियों के नाम सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।


तहसीलदार,
नगीना


बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)
बिजनौर


उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बिजनौर


उपजिलाधिकारी,
नगीना


15/10/20
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बिजनौर।



2/1

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958
उ0प्र0 सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

20-07-2022 यह रिपोर्ट तहसीलदार नगीना से प्राप्त होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हुयी। आदेश हुआ कि वाद अन्तर्गत धारा 38(1) उ0प्र0 राज0 संहिता मे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को दिनांक 06-08-2022 के लिए नोटिस जारी हो।

6-8-22

पत्रावली शून्य / दायी गण का न्यायिक कार्य से परित
रहि का प्रभाव शून्य / प्रतिपक्षीगण उपाधित दायी
पुरु प्रतिपक्षीगण की ओर से दायी व्यय स्थगन
जायना का भय बकालतनाम शून्य किया गया।
अतः पत्रावली वाद प्रामाणिक है दिनांक
23-8-22 को पेश है

23-8-22

Handwritten signature
06/8/2022

रजित
शिवराम
(पुलिस कानून)
का
Sikandar Ali
अधीन
रश्मि बेगम
मोहनजी
के लक्ष्मी सिंह
धनवीर सिंह
Handwritten signature
06/8/2022
(M.A. for A.C.)

पृष्ठ संख्या :

23-8-22

पत्रावली प्रस्ताव / पुकार करायी गयी / उभय पक्ष उपस्थित / प्रतिपक्षीकरण की और से आपसी प्रस्ताव की गयी / अतः पत्रावली वास्तु ~~का~~ बहस हेतु दिनांक 25-8-22 को पेश है

प्रतिपक्षीकरण (प्रदीप कुमार) 23/8/2022

25-8-22

पत्रावली प्रस्ताव / उभय पक्षों की बहस को सुना गया / अवलोकन किया गया / अतः पत्रावली वास्तु औपदेश हेतु दिनांक 26-8-22 को पेश है

25/8/22

26-8-22

पत्रावली प्रस्ताव / आधीकरण का शौक प्रस्ताव प्राप्त / समय अभाव के कारण औपदेश पारित नहीं हो सका / अतः पत्रावली वास्तु औपदेश हेतु दिनांक 27-8-22 को पेश है

26/8/22
श्रीमती रेखा रमकान्त/श्रीमती Bishkananda Sharma

27-8-22

पत्रावली प्रस्ताव / रिट्टी लंफि औपदेश पारित कर प्रथम से पत्रावली में संलग्न किया गया / बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल कराए है

26/8/22
श्रीमती रेखा रमकान्त/श्रीमती Bishkananda Sharma
26/8/22
श्रीमती रेखा रमकान्त/श्रीमती Bishkananda Sharma
26/8/22
श्रीमती रेखा रमकान्त/श्रीमती Bishkananda Sharma

पृष्ठ संख्या :

3
1

कार्यालय तहसीलदार, नगीना (बिजनौर)।

पत्रांक: 1435 /रोका0(अधि0)/2022-23

दिनांक 19-07-2022

विषय:- तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट, शंकरपुर, हल्लोवाली तथा मुर्तजाबाद आदि में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को खुर्द-बुर्द करने के सम्बंध में।

उपजिलाधिकारी,

नगीना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय उपजिलाधिकारी नगीना के पत्रांक 135/एस0टी0-2022 दिनांक 06.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट, शंकरपुर, हल्लोवाली तथा मुर्तजाबाद आदि में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को खुर्द-बुर्द करने के सम्बंध निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण के अन्तर्गत क्षेत्रीय आख्या ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना 1359फ0 एव वर्तमान खतौनी के आधार पर प्रारूप पर चाही गयी आख्या साथ में संलग्न है। उपरोक्त सूचना ग्रहण करना चाहे।

संलग्नक:- यथोक्त।


तहसीलदार,
नगीना,
बिजनौर।

रीस्ट
पाद दज रजिस्ट्रार वी।

S.D. 2022
20/7/22

न्यायालय, आदेश मा० सं० - 27-8-22



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : विजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958
उ० प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना।

वाद सं०-टी202213160402958/22 धारा-38(1) उ० प्र० राजस्व संहिता
मौजा-मुर्तजाबाद परगना-बढापुर।
उ० प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह निवासी मौ० कस्सावान नगर व तहसील विजनौर व मा० सांसद श्री गिरीशचन्द, लोकसभा नगीना के द्वारा मा० मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच आख्या के अनुपालन में अन्तर्गत धारा 38(1) उ० प्र० राजस्व संहिता के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। जो वाद तामिल शामिल मिसल है।

मा० सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा० मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील- नगीना के ग्राम- तेलीपाडा, मुर्तजाबाद जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी-नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एवं एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि० मौ० कस्सावान, नगर व तहसील- विजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी विजनौर द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक- 11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में जांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। जांच समिति में उपजिलाधिकारी नगीना, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम व तहसीलदार नगीना सदस्य हैं। तक्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम- मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम- मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक-पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :- 11


कुल क्षेत्रफल :- 859 बीघा 10 बिस्वा

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202213160402958
उ०प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


सन्- मुर्तजाबाद की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगल के 5 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र मान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 6 गाटो पर यह आदेश अंकित नहीं है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन-5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ताम 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा-मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल, व नदी के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन-14 और जिमन-15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन-5 और जिमन-6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ०प्र० जमी०वि० एवं भू०व्य०अधि० का कियान्चयन उक्त ग्राम में किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्ररनगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन- 1क आसामियान जेरे काश्त भूमिदार मद 1 जिन्होंने दस मुनाह जमा कर दिया हो के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह सा० हाल बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय-समय पर क्रय विक्रय के कारण उक्त गाटा अलग-अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

सन् फसली- 1359 फसली पर अंकित आदेश "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र मान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या- 425/एफ०एस०ओ०-2020 दिनांक- 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 419/25-14 दिनांक- 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ताम 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील- नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्ररनगत 1359 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील-नगीना में संघित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम-मुर्तजाबाद की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल, नदी की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958
30 प्रोसरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम- मुर्तजाबाद के प्रकरण में दो आदेश "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर कास्त करने की इजाजत दी" तथा "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा- मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदचंज सिंह जात राजपूत निवासी हात बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावे" की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार

भाग अख्तल

नाम मालिकान

कुंवर चन्द्र भान सिंह साहब खेवट नम्बर 1

जमिन 1 सीर मालीकान लगायत जमिन 13-इलाके, जाती-नदारद

जमिन 14 आराजी काबिल जराअत

1-प्रती जदीद, नदारद

2-प्रती कदीम नदारद

3-जंगल हस्बा कानून जंगलात

4-इमारती लकडी जंगल नदारद

5-दिगर दरख्तान झाडी वगैरह- नीचे दर्ज है।

6-दिगर बंजर काबिल जरायत- नदारद।

के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,7,9,11, कुल 5 गाटा रकबा 709 बीघा 10 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत जंगल दर्ज अभिलेख

है।

1358 फसली की खतौनी ग्राम मुर्तजाबाद में जमिन 15 के अन्तर्गत 1-आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10

कुल मीजान 6 कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी में कुल मीजान कुल देह 11 कुल रकबा 859

बीघा 10 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अख्तल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01

अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जमिन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भाँति जमिन 14 के अन्तर्गत जंगल के

गाटे तथा जमिन 15 के अन्तर्गत नदी के 6 गाटे दर्ज है। जंगलशाहीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या

9,10,11 में आदेश अंकित है कि "बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्र भान सिंह को जंगल के नम्बरान

पर कास्त करने की इजाजत दी" हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी के खाता संख्या 2 के सापेक्ष कोई आदेश

अभिलिखित नहीं है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जमिन 5 के अन्तर्गत जंगलशाहीदार के 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11

बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि "बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा-

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परमनायिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, ज़नपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



वर्तमान पर नाम श्री कुंवर चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा ऊदराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार
दर्ज कागजात पटवारी किया जावे

इसी 1360 फसली की खतौनी के अंतर्गत ज़िमन-6 मद 1 के अंतर्गत खाता संख्या 2 नदी अंकित है जिसमें गाटा संख्या
24,5,6,8,10 कुल गाटा 6 तथा कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

यहाँ निम्न बिन्दुओं पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि -

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम में प्रशासनिक आधार
पर दर्ज कर सकता है।

(2) जंगल झाड़ी भूमि पर क्या जंगलात आफिसर का अधिकार विधिक रूप से हे कि वह जंगल झाड़ी के स्थान पर किसी व्यक्ति
को काशत करने की इजाजत दे सकते हैं।

(3) 1359 फसली वर्ष की खतौनी में दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का क्या
आधार है

बिन्दु संख्या 1-

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली तक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाड़ी अंकित भूमि पर जंगल
झाड़ीदार ही अंकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काशत करके नहीं की थी।
इसकी पुष्टि 1360 फसली की खतौनी पर उपलब्ध फार्म प-15 पर (लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन
पटवारी समद खॉं द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। उसके द्वारा तैयार प-15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का
घोरा है। इससे स्पष्ट कि 1360 फसली में ग्राम में काशत से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359 फसली
में श्रेणी 14 की जंगल झाड़ी भूमि पर जंगल झाड़ी मौके पर थी। किसी भी काशतकार का काशत भूमि पर वैद्य या अवैद्य
काशतकारी नहीं थी। उपरोक्त भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि
वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में कोई भी अंकन परिवर्तन या संयवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नहीं किया
जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई
ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था में उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक
अभिलेखों) में अंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि उपरोक्त भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है
कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमों की व्यवस्था के लेखपाल का
अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैद्य एवं फर्जी प्रकृति का समिति जाँच
में पाती है। कोई भी अधिकारी लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का अंकन उक्त तत्कालीन प्रचलित
विधि व्यवस्था में नहीं दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात
आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नहीं रहा है।

सत्य प्रतिलिपि
देशाधिकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958



अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

बिन्दु संख्या 2-

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी में दर्ज ज़िम्न 14 की जंगल झाड़ी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप में नहीं दिया था जिससे वह ज़िम्न-14 की जंगल झाड़ी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान कर सके। किसी भी विधि व्यवस्था में नहीं है कि उद्घाटन आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख में खतौनी में काश्त करने के लिये दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359 फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैधानिक, अनियमित एवं फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नहीं की जैसा कि 1360 फसली खतौनी में रक्षित प्रपत्र प-15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का ज़िम्न-14 की जंगल झाड़ी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360 फ़ 0 प-15 में जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है। सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नहीं है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सके। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

बिन्दु संख्या 3-

परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी में ज़िम्न 14 की जंगल झाड़ीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेष विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्त करने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणों से है उ०प्र० भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) में दी गयी परिभाषा के क्रम में जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नहीं राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी में स्वत्व परिवर्तन के तौर पर अंकित नहीं किया जा सकता है। उ०प्र० भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी में ज़िम्न-14 से जंगल झाड़ीदार के नाम से एवं ज़िम्न-15 में नदी के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नहीं था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काश्त हो। उ०प्र० भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33 में स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नहीं दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अंकित काश्त करने के आदेश के बाद 1360 फ़ 0 की खतौनी में उपलब्ध प्रपत्र-15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नहीं हुयी जैसा कि प्रपत्र 15 में काश्त नदारद अंकित है।

जंगलात अधिकारी की हैसियत ज़िम्न-14 जंगल झाड़ीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पट्टेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की भी नहीं थी। उ०प्र० काश्तकारी अधिनियम 1939 में दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नहीं रखते थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम, जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विश्लेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशों में की अकारित किया गया है कि खतौनी में किये गये इन्द्रराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नहीं है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तिलकधारी बनाम

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, ज़ोनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाड संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाड संख्या :- T202213160402958

उ०प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि

अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



जमीनें ने 1980 एवं ए०जे० 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम, ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 100, विश्वविजय बनाम फखरुल
हसन, ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ०प्र० जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखों का निर्माण
फिस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियों के अधिकार आगम और स्वत्व
निर्धारित कर खतौनी में निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट में करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतोनियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ०प्र० भू०लेख नियमावली के अध्याय 8
के नियम 121 के प्रपत्र प-11 के पैरा 124 के क्रम में बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है-

क्र०सं०	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोस्वस्ती बीघो में या एकड़ में	लगान			विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी का मूल्य	लगान नकद	
1	2	3	4	5	6	7	8	
उन क्षेत्रों के लिये जिनमें 1950ई०का उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है								

तथा 1360, 1361 एवं 1362 फसली वर्षों की खतोनियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ०प्र० भू०लेख नियमावली
अध्याय 8 के नियम 1क 121 में प्रपत्र-11 के प्रारूप पर पैरा 124 के क्रम में बनी है जो निम्न है-

खाता खतौनी सं०	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड़ में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाये यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी के उन क्षेत्रों के लिये बनी थी जिनमें 1950 ई० में उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम
लागू था। ग्राम में 1359 फ० में उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था खतोनिया उ०प्र० भू०लेख
नियमावली के पैरा 124 में दी गयी खेवट खाते के अंतर्गत भूमियों के क्रम में दी गयी व्यवस्था के तहत जिनमें 1 से लेकर 15
तक बनी है खतौनी के भाग अखल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) के साथ जिनमें (1) सीर

सत्य प्रामाण्य
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : -2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

30 प्रोसरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



मसिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है। लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प-15 पर भी जो नदारद अंकित है तथा जिमन-14 आराजी काबिल जिरायत में जंगल झाडीदार और जिमन-15 में नदी अंकित है। जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क-124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियों को जिमन 1 से 6 तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क-121 में परिभाषित पक-11 के तहत है। उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952-जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक -11 पर प-11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जाँच से यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य में निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी में जिमनवार अंकन निम्नवत है- 1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम मुर्तजाबाद परगना बदापुर तहसील नगीनाजिला बिजनौर फार्म 1 साल 1360 फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प-क11 की पेशानी यानी उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रधान खतौनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी में जिमन लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम में किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नहीं था तथा 1360फसली के प्रारम्भ में काश्त की कोई भूमि नहीं थी। फसली 1360 में जिमन-5 के मद नम्बर 3 व 2 में झाड़ियों का जंगल काबिल जरात जंगलझाडीदार के नाम कुल 5 गाटों में रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा भूमि अंकित है तथा जिमन-6 मद 1 में नदी के नाम 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है। यह भूमिया जमींदारी विनाश के पूर्व 1359फ0 की खतौनी में प्रपत्र-11 पर जिमन-14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नहीं था। यहाँ निहित उपरोक्त प्रपत्रों के अंकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्ध करते हैं कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ। मध्यवर्तियों के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम में आबादी न होने के कारण काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नहीं हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 विवस्था लागू शुदा क्षेत्रों के लिये बनाने पर था और जमन-14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते में दर्ज नहीं थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप में दर्ज थी। खतौनी 1360फ0 में जिमन-5 में अंकन इसी प्रकार 1359फसली की जिमन-15 में दर्ज नदी के रूप में 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा थी जो 1360फ0 को नियमानुसार जिमन-6 में दर्ज किया गया। 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम मुर्तजाबाद की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 में जंगलझाडीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखों 1360फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं के रतमों में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है वर्तमान में राजस्व अभिलेखागार में रक्षित ग्राम के अभिलेखों में 1361 फसली की खतौनी उपलब्ध नहीं है। 1360फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक में एक प्रविष्टि 1361फसली (1जुलाई से जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी। बाहुकाम श्री हाकिम

सत्य प्रमाणित
पेशकर्ता
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : -2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा मुर्तजाबादपर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। इस अमलदरादमद के नीचे गाटा संख्या 1 लेकर 11 तक के सभी नम्बरान अंकित है तथा कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा अभिलिखित है। उपरोक्त प्रविष्टियों में से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360 फसली एवं 1361 फसली के लिये मान्य थी क्योंकि उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां 1361 फ० वर्ष की है और 1360 फसली की खतौनी में दर्ज है। 1361 फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360 फसली की खतौनी में की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360 फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली में मान्य थी। वर्ष 1360 फसली में अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियों की जाँच समिति निम्न कारणों से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1-दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना।

2-जब से खतौनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ० यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखों में ग्राम की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि सदैव जंगल, नदी के रूप में दर्ज रहना।

3-उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारों का ना पाया जाना।

4-1359 फसली तक नाम मालिकान में कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1 सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नहीं थी केवल जिमन 14 एवं 15 में जंगल एवं नदी के रूप में दर्ज 859 बीघा 10 बिस्वा सार्वजनिक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम में नहीं थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ० की निर्मित पहली खतौनी में नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी में जिमन 5 में जंगल झाड़ीदार एवं जिमन 6 में नदी के रूप में भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फ० एक जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 859 बीघा 10 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 में जंगल झाड़ी व नदी के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फ० के विशेष विवरण में दर्ज है जिससे समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर के नाम अंकित कर दी गयी। जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ०प्र० जा०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप में अंकित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से किया गया।

5-उ०प्र० जा०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षों एवं झाड़ियों से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक शास्तों की भूमिया पहले राज्य सरकार में निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा में निहित कर दिया।

6-ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगल झाड़ीदार एवं नदी से सम्बंधित कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियों के रूप में थी उ०प्र० जा०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमिया पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। 9-धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नहीं था।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



- 10- धारा 196 में दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उदायी भी नहीं जा सकती थी।
- 11- परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा में 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जंगल नदी की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में नहीं दिया गया है।
- 12- 1360 फ० वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाड़ीदार नदी के रूप दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप में काबिज नहीं रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम जमींदारी समाप्ति पर सरकार में निहित हो गये।
- 13- ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिनमें 14 जिनमें 15 थी बाद में 1360 फ० में जिनमें-5 एवं जिनमें 6 में परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियों पर कोई लगान की देयता नहीं थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैध एवं अवैध कब्जा नहीं था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमींदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 129 (ख) से भी अध्यादेश आदेश नहीं है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नहीं है।
- 14- मूलतः 1360 फसली की खतौनी में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक-11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतौनी में अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 में भूमिधर थी वैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है-
- क- ऐसे व्यक्ति जो आस्थानों के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।
- ख- ऐसे व्यक्ति जो उ०प्र० जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशों के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले। धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नहीं बना। स्वतः भूमिधर काश्तकारों एवं अन्य काश्तकारों की स्थिति जिनमें 1 लगायत 4 नदारद 1360 फ० में स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा में यह अंकन नहीं है कि जो भूमि जिनमें 14 जंगल जिनमें 15 नदी की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिनमें 5 जंगल एवं जिनमें 6 नदी बाद जिनमें-5 जंगल एवं जिनमें-6 नदी की भूमि के रूप में ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप में धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो, उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित नहीं कर सकते हैं। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नहीं हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है।
- 15- जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख हाते थे खेवट और खतौनी 1359 फ० की खतौनी में भाग अब्दल नाम मालिकान श्री कुंवरचन्द्रमान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 जिनमें 1 सीर मालिकान लगायत जिनमें 13 इलाके जोत 570 बीघा 4 बिस्वा श्री कुंवरचन्द्रमान सिंह के नाम थी। यह उसके जमींदार थे 1360 फसली के खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एवं जमींदारी समाप्ति की गयी एवं उ०प्र० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 में वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमें जिनमें-5 में जंगल एवं जिनमें-6 नदी नियमानुसार दर्ज हुई।
- 16- 1359 फ० वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवट में मालिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रमान का नाम अंकित है। किन्तु 1359 फ० तक के ग्राम में कभी भी जोत की भूमि नहीं थी सभी भूमिया जिनमें-14 एवं 15 की थी। खेवट

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958
उ०प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संबंधित जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसके समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अंकन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमें कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत में है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकर अभिलेख रखा जाता है का निर्माण 1360 फ० में हुआ। ग्राम में कभी भी कोई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिनम 14 जंगल की भूमि जिनम-5 जंगल में दर्ज हुई एवं जिनम-15 नदी की भूमि जिनम-6 नदी में दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानों के विरुद्ध पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अंकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17- यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नहीं थे स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रमान सिंह को श्रेणी-14 एवं श्रेणी-15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नहीं थे। जैसा कि उ०प्र० काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 8 से भी स्पष्ट है।

18- अधिसूचना संख्या 385/1-क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ०प्र० गजट में 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यों के करने के तहत कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त हैं। ग्राम में उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नहीं हो सकता था। जैसा कि उ०प्र० ज०वि० अधि० से भी स्पष्ट किया गया है उ०प्र० रा० अधिनियम 1901 की धारा 33 में खतौनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ०प्र० अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

19- भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की परिस्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम में सार्वजनिक उपभोग जंगल, नदी पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्तकारों का वर्णन 1362 फ० की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखों में नहीं मिलता है। फसली 1360-61 फ० की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प्रपत्र-15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है। ऐसी स्थिति में 1361 फ० वर्ष की खतौनी की सभी में नदी जंगल की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20- ज०वि० अधि० के पूर्व की भूमि विधि में दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियों में कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नहीं रही और जमींदारी विनाश के बाद 1360 फ० में भी निर्मित चार जोतदारों/काश्तकारों में कोई भी ग्राम में काश्तकार नहीं था। विशुद्ध रूप से ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं नदी के रूप में दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नहीं है। इस भौतिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण प्रबंध संरक्षण और नियंत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नहीं होती है।

21- खतौनी की परिभाषा उ०प्र० भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क-121 के अभिलिखित है इसमें लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5) एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियों की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम में 1360 फसली तक समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं था। प्रपत्र-15 1360 फ० से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमें विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व नीरामाती लगाने वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी

सत्य प्रविष्टि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958



30 प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रकार के समस्त कारतकार नदारद अंकित है भूमि जिमन-14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6 में अंकित हुई है कोई कारतकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनघड़न्त एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपभोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया एवं अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्यो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसके अवलोकित नही किया गया। समिति जॉच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एवं फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा० हाल बिजनौर अंकित है और इसमें सही जिमन-5 जंगल के 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा और नदी के 6 गाटा रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतोनी में सार्वजनिक उपभोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटो की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी है और खतोनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असाभियान जेरे कास्तभूमिधर अंकित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रों में ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहाँ की खतोनीया प्रपत्र पक 11 पर उ०प्र० भूलेख नियमावली के पैरा क-124 में अंकित खतो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। असाभियान जेरे कारतभूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसने परभावित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले घोषणात्मक वाद में भूमि की प्रक्रिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपभोग धारा 132 की भूमि पर प्रशासनिक प्रकृति के आदेश के तहत 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करने के अधिकार किसी अधिकारी को ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम या अन्य किसी भी व्यवस्थाओं में नही दिये गये है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनघड़न्त काल्पनिक एवं मिथ्या समिति जॉच में पाती है।

21-मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360 फ० का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न कोई सीर थी न कोई खुदकारत थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी। इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका नाम 1360 फ० निर्मित खतोनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था जिसका निराकरण उ०प्र० ज०वि० अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतोनी में सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

सत्य प्रतिकल्पि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

22-उक्त प्रशासनिक आदेश उ०प्र० भू०राजस्व अधिनियम 19 की धारा 33, 35, 39, 40, 41 या 54 के अन्तर्गत पारित नही है। प्रशासनिक तरीके से राजस्व अभिलेख में लेखपाल ने कूट रचित प्रविष्टि की है। जमींदारी विनाश के बाद जमींदार का नाम बगैर अधिकार स्वत्व या दायित्व या तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत बनाये गये किसी भूमि नियम के अन्तर्गत खेवट से हटाकर सार्वजनिक उपभोग की धारा 132 की समस्त भूमि पर अंकित करना स्वेच्छाधारिता है। लैंड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 136 के अनुसार 1360 फसली के प्रपत्र प-15 जो कि अभिलेखागार स्तर पर उपलब्ध है। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम में जिसमें भूमिधरो की जोत उन व्यक्तियों की जो जोधारा 137 एक्ट नम्बर 1 सन 1951 के प्रतिबंधात्मक खण्ड से सम्बन्धित थे। सारदारो की जोत, असाभियो की जोत, उन व्यक्तियों की जो भूमि पर बिना स्वत्व के काबिज है प्रथम भाग में अंकित है। असाभियो जो उन व्यक्तियों की भूमि पर बिना स्वत्व के काबिज है और जिनका नाम खतोनीयो के भाग एक में अंकित है, भू स्वामियों की सीर, खुदकारत, ठेकेदार के बंधक प्राही की जोत, भूमि पर बिना स्वत्व काबिज व्यक्तियों की जोत, गतहतदारो से



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उOप्रOसरकार बनाम इन्द्रजीत आदि

अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006




मालिकाना की जोत, शरहमुअग्गन, साकिकतुल मिलकियत काश्तकार, और ऐसे काश्तकार की जो काबिज काश्त 1333 फसली में 12 वर्ष से कम रूप में खतौनी में लगातार दर्ज। सार्वजनिक उपयोग की 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि पर जमींदार के नाम का अंकन सूOपीOकाश्तकारी अधिनियम उपयोग 1939 के अध्याय -3 के धारा 21 में परिभाषित समस्त असामियान के कम का नहीं है तथा उOप्रO जOविOएवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21, 187, -क और 210(ग) के कम का भी अंकन नहीं है स्पष्ट है कि जिमन-1 में जो नाम देकर अंकित किया गया वह भी किसी नियम या व्यवस्था के तहत नहीं है जिमन 1 श्रेणी का शीर्षक समिति फर्जी एवं कूट रचित जॉच में पाती है।

उक्त के साथ 1362 फO खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि असामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिंह जमींदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बगैर असामियान दर्ज हुआ। असामियान को उOप्रOजOविOअधिनियम की धारा 153 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों को अंतरित हुयी है।

तत्कालीन में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर-6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। नायब तहसीलदार के कथित उक्त दावों की पत्रावलियां भी रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील नगीना और अमिलेखागार बिजनौर में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विशलेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फO में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमें ग्राम मुर्जाबाद की समस्त भूमि कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप में जिमन-5 एवं 6 में क्रमशः जंगल झाड़ीदार एवं नदी के रूप में दर्ज हुई। 1361फO में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त, अनियमित, स्वेच्छाधारी, फर्जी कूट-रचित प्रशासनिक आदेश के रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगों के नाम का अंकन है। 1360फO की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन-14 एवं जिमन-15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नहीं था जैसा कि 1360फसली के प्रपत्र-15 के अवलोकन से स्पष्ट है। लेखपाल द्वारा फर्जी प्रविष्टि अंकन कर वर्क-वर्तिक एवं अनावश्यक जॉच की स्थिति पैदा की। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमों अधिनियमों की विधिक व्यवस्था या व्यापिक प्रक्रिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन नहीं किया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित प्रशासनिक तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षों के सभी आदेश स्वतः फर्जी कम के हो जाते हैं।

माOउच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में माOउच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओं के तालाब, पोखर, चारागाह आदि की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश /दिशा निर्देश पारित किये गये हैं।

सत्य प्रबलिति
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958



अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

समिति के सदस्य के रूप में नामित करते हुए दिनांक 05.10.2021 को चकवन्दी निदेशालय, लखनऊ में आहूत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने के लिये जिलाधिकारी बिजनौर से अनुरोध किया गया। दिनांक 05.10.2021 को अपर जिलाधिकारी एवं जिला वन अधिकारी के उपस्थित न होने पर दिनांक 08.10.2021 नियत की गयी, जिस पर जांच समिति के सभी सदस्य एवं अध्यक्ष उपस्थित हुए।

3- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जांच समिति की जांच आख्या के ग्रामवार मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

ग्राम मुर्तजाबाद- जनपद स्तरीय उक्त जांच आख्या के अनुसार ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की सन् 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा, 10 बिस्वा अंकित है। 05 गाटे, जिनका कुल क्षेत्रफल 709 बीघा, 11 बिस्वा है, जिनमें 14 में जंगल के नाम एवं 06 गाटे जिनका कुल क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा है, जिनमें 15 में नदी के नाम अंकित है। 1359 फसली की खतौनी पर जंगल के 05 गाटों जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा है, पर जंगलात ऑफीसर के आदेश दिनांक 28.05.1952 की अमलदरामद अंकित है जिसके द्वारा कुंवर चन्द्रभान सिंह को काश्त करने की अनुमति की अमलदरामद है। फसली 1360 खतौनी के जिनमें 05 व 06 में अंकित झाड़दार जंगल व नदी के सभी 11 गाटों पर हाकिम परगना साहब नगीना के आदेश दिनांक 29.05.1953 की अमलदरामद का अंकन है, जिसके द्वारा कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊंदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फसली की खतौनी में सभी 11 गाटे कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊंदेराज सिंह के नाम श्रेणी 01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिये गये। तत्पश्चात् उक्त सभी गाटे विभिन्न प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्रों के आधार पर दर्ज किये गये हैं।

शासन स्तरीय जांच निष्कर्ष एवं संस्तुति:-

(1) उक्त तीनों ग्रामों के 1359 फसली के पूर्व के भूमिक अभिलेखों तथा 1359 फसली की नॉन जेड-ए की खतौनी के अनुसार ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 बीघा भूमि जिनमें 4 एवं 15 में खेतदार राजा हरीशचन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी।

उक्त खेतदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिये जमींदार (मध्यवर्ती) थे, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 01.07.1952 के पूर्व इन तीनों ग्रामों की सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का किसी प्रकार से कोई प्रबंधन नहीं किया जाना स्पष्ट होता है।

तीनों ग्रामों के जमींदारी उन्मूलन के पूर्व कबे प्रपत्र प-15 से इनकी समस्त भूमि पर खेती न होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि इस ग्राम की समस्त भूमि उक्त जमींदार (मध्यवर्ती) की सीर, खुदकाश्त, सायर या बागभूमि नहीं थी।

(2) दिनांक 01.07.1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम एक्ट संख्या 01/1950 के प्रभावी होने पर इसकी धारा-4 के उपबंधों के अधीन निर्गत अधिसूचना से राज्य की समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी।

इसी अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत जमींदारी (मध्यवर्तियों) के समस्त अधिकारी हक और हित समाप्त हो गये। तत्पश्चात् भूमि पर कृषि करने वाले भू-धारकों के साथ उनकी धृत भूमि उनके साथ व्यवस्थित करते हुए सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि उक्त अधिनियम की धारा-117 (1) के अन्तर्गत ग्राम सीमा में प्रबंधन हेतु निहित की गयी है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958



30 प्रोसरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जमींदारी उन्मूलन हो जाने के कारण तत्समय बनाए जाने वाले भौमिक अभिलेख क्रमशः खेवट, नॉन जेड0ए0 खतौनी (प्रपत्र-प-11) तथा खसरा (प-3) समाप्त हो गये और उनके स्थान पर जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र की खतौनी (प्रपत्र-प क-11) और खसरा (प क-3) व्यवस्थित किये गये।

इस प्रकार इन ग्रामों से दिनांक 01.07.1952 को उपर्युक्त प्राक्धानों के अन्तर्गत जमींदारी प्रमा उन्मूलित होकर इन ग्रामों की समस्त (570-04-0 + 859-10-0 + 897-16-0 2327-10-0) बीघा भूमि जंगल-झाडीदार, नदी व रास्ता के रूप में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पाते हुए 1360 फसली की खतौनी के भाग-2 में ग्राम सभा के खतों में क्रमशः श्रेणी-5 एवं श्रेणी-6 में अंकित किया गया है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन ग्रामों में कोई कृषि कार्य हो रहा होता या जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया होता अथवा इस पर खुदकाशत, सीरदार, सायर, बागदार आदि के रूप में किसी का आध्यासन रहा होता तो ऐसे भू-धारक का नाम 1360 फसली की खतौनी के भाग-1 में आ जाता, किन्तु खतौनी के भाग-1 में किसी काशतकार का नाम अंकित नहीं है।

इसके पश्चात् 1362 फसली की खतौनी में कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदे राज सिंह का नाम जिनमद-1 क आसामियान जेरे काशत भूमिधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फसली दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी, नगीना के आदेश दिनांक 29.09.1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है।

(3)- 1359 फसली की खतौनी में "बाहुकम 28.05.1952 जंगलात अफीसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली के नम्बरान पर काशत करने की इजाजत दी" विषयक अमलदरामद है।

इस संबंध में जांच समिति द्वारा जनपद स्तरीय जांच आख्या का परीक्षण करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त यह पाया गया है कि ग्राम शंकरपुर की 471-2-0 बीघा, मुर्तजाबाद की 709-11-0 बीघा व हल्लोवाली की 857-11-0 बीघा भूमि श्रेणी-14 में जंगल झाडीदार के रूप में दर्ज है, किन्तु यह वन विभाग (जंगल विभाग) की नहीं रही है क्योंकि जिला वन अधिकारी, बिजनौर पत्र संख्या 419/25-14 दिनांक 18.08.2020 के अनुसार इन तीनों ग्रामों की कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के फलस्वरूप वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी है। वन बन्दोवस्त अधिकारी के आदेश सं0- 1639 दिनांक 20.02.1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग की गयी।

जिला वन अधिकारी के अनुसार वन विभाग की भूमि पर किसी को काशतकारी अथवा अन्यथा उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वन विभाग का कोई अधिकारी सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त जंगल विभाग के अधिकारी, न्यायालय या राजस्व विभाग के अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते। अतः उनके किसी आदेश की अमलदरामद खतौनी पर किया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है। उपर्युक्त आधारों पर अपर जिलाधिकारी की समिति ने उक्त अमलदरामद को अवैध/कूटचित होना कहा है।

जमींदारी विनाश अधिनियम-1950 की धारा-8 में दिनांक 08.08.1946 के पूर्व के समस्त संविदाओं को और इसी अधिनियम की धारा-24 में इस अधिनियम के प्राक्धानों को निष्फल करने हेतु या प्रत्येक संविदा एवं अनुबन्ध को शून्य घोषित किया गया है। अतः तथ्याकथित काशत करने की अनुमति शून्य प्रभावी है।

संयुक्त प्रान्त प्राइवेट वन अधिनियम, 1948 की धारा-7 पर समिति द्वारा विचारापरान्त पाया गया कि जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा जंगलात अफीसर से काशत की अनुमति नहीं मांगी गयी है। उक्त जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा किसी भू-भाग का

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



किसी प्रकार से किसी के पक्ष में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उक्त भूमि कुंवर चन्द्रभान सिंह की खुदकाशत, सीर, सायर, बागदार या मौरूसी आदि किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। वे न तो जमींदार (मध्यवर्ती) है और न किसी श्रेणी के भू-स्वामी। अतः कुंवर चन्द्रभान सिंह के पक्ष में जंगलात अधिकारी द्वारा दी गयी तथा कथित की अनुमति उक्त धारा-7 की परिधि में नहीं आती है और इसका कोई लाभ उक्त व्यक्तियों को नहीं मिल सकता।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत अमलदरामद क्षेत्राधिकार रहित, नियम विरुद्ध एवं छलसाधित होता स्पष्ट होती है।
(4)- जांच समिति द्वारा ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की 1360 फसली की खतौनी पर दिनांकरहित निम्न आशय की अमलदरामद अंकित होना पाया गया है कि 'बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.09.1953 आराजी नम्बरी जैल श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदे राज सिंह, जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जाए। समिति ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि दिनांक रहित इस अमलदरामद में परगना अधिकारी के न्यायालय के किसी वाद संख्या, शीर्षक, धारा का कोई उल्लेख नहीं है। इसी खतौनी के भाग-2 में समस्त भूमि ग्राम समा के खाते में श्रेणी-5 एवं 6 में दर्ज होने से स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि थी और स्पष्ट रूप से जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-132 से आच्छादित थी। इस प्रकार इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति को भौमिक अधिकार दिया जाना विधि-विरुद्ध था।

यह तथ्य है कि कुंवर चन्द्र भान सिंह को तथाकथित काशत करने की अनुमति केवल जंगल-झाडीदार भूमि पर दिया गया था, किन्तु श्रेणी 6(2) में दर्ज ग्राम शंकरपुर में 99-2-0 बीघा, मुर्तजाबाद में 149-19-0 बीघा व हल्लोवाली में 39-4-0 बीघा नदी की भूमि और ग्राम हल्लोवाली में 1-1-0 बीघा रास्ता के रूप में दर्ज भूमि पर कुंवर चन्द्रभान सिंह को तथाकथित काशत की अनुमति न होते हुए भी उन्हें भौमिक अधिकार दिया जाना पूर्णतया विधि विरुद्ध है।

यह भी विचारणीय तथ्य है कि यदि कुंवर चन्द्रभान सिंह को तथाकथित काशत करने के फलस्वरूप जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत भूमिधर माना गया होता तो ऐसी भूमि उनकी सीर, खुदकाशत, सायर या बागभूमि के रूप में 1360 फसली की खतौनी के भाग-1 में उनका नाम दर्ज होना चाहिए था। उपर्युक्त छलसाधित अमलदरामदों के फलस्वरूप उनका नाम 1362 फसली की खतौनी के भाग-1 में आया है। अतः स्पष्ट है कि उन्हें जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-18 का कोई लाभ नहीं दिया गया है।

जनपद स्तरीय समिति की आख्या में भी उक्त अमलदरामद को कूदरचित एवं छलसाधित बताया गया है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों तथा साक्ष्यों पर सम्यक विचारोपरान्त जांच समिति प्रश्नगत अमलदरामद को अवैधानिक एवं छलसाधित पाती है।

(5)- उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व हल्लोवाली की 897-16-0 बीघा भूमि जो जमींदारी उन्मूलन (01.07.1952 के फलस्वरूप) राज्य सरकार में निहित एवं ग्रामसभा की प्रबन्धाधीन भूमि है। इस पर जमींदार (मध्यवर्ती) एवं तत्समय के राजस्वकर्मियों की दुरभिसंधि से कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम अवैधानिक रूप से अंकित किया गया और उ तत्पश्चात उनके द्वारा विक्रय पत्रों के माध्यम से तीनों ग्रामों की जंगल-झाडीदार की 2038-4-0 बीघा भूमि वर्तमान में प्राईवेट कृषकों के नाम में अंकित है। इसी प्रकार इन ग्रामों में नदी खाते की 288-5-0 बीघा भूमि और रास्ते की 1-1-0 बीघा भूमि भी प्राईवेट कृषकों के

सत्य प्रमाणित

पेशकार

न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जनपद : विजयनगर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नाम अवैध रूप से अंकित हो गयी है। इस प्रकार उक्त ग्राम में 2327-10-0 बीघा भूमि जो राज्य सरकार एवं ग्राम सभा से संबंधित थी, को उक्त अवैध अमलदरामदों के फलस्वरूप व्यक्तिगत कृषकों के नाम अंकित करते हुए खुरद-बुर्द की गयी है और वदनुसार ग्रामसभा और राज्य सरकार को अर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है।

(6)- सम्पत्ति क्रय-विक्रय के माध्यम से उक्त तीनों ग्रामों की ग्रामसभा भूमि खुरद-बुर्द होकर प्राइवेट काश्तकारों के नाम दर्ज है, जिसका मूल आधार उपर्युक्त दोनों अमलदरामदों हैं, जो कि नियम विरुद्ध एवं छलसाधित पायी गयी है। अतः जनपद स्तर पर विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए राजस्व संहिता की धारा-38(5) के अन्तर्गत छलसाधित प्रविष्टियों को निरस्त करने अथवा धारा-146 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना एवं अनधिकृत काबिज व्यक्तियों की नियमानुसार बेदखली के उपरान्त उनसे राज्य सरकार एवं ग्राम सभा को हुई क्षति की वसूली किया जाना भी समीची होगा।

(7)- ग्राम शंकरपुर, मूर्तजाबाद एवं हल्लोवाली के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28.05.1952 तथा दिनांक 29.09.1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित अमलदरामदों एवं भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28.05.1952 के अवैधानिक एवं छलसाधित अमलदरामद से राज्य सरकार एवं ग्राम सभा की भूमि को क्षति पहुंचाने तथा लाभान्वित होने के लिये हितबद्ध पक्ष के रूप में तत्कालीन जमींदार (मध्यवर्ती) तथाकथित काश्त की अनुमति प्राप्तकर्ता तथा राजस्व कर्मियों के विरुद्ध विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही भी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(8)- तीनों ग्रामों की कुल 2327-10-0 बीघा भूमि को अवैधानिक रूप से खुरद-बुर्द करने विषयक प्रकरण राज्य सरकार एवं ग्रामसभा भूमि की आर्थिक क्षति से संबंधित गम्भीर प्रकरण है। अतः इस जॉच आख्या में वर्णित तथ्यों एवं संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर न्याय विभाग का परामर्श लेते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में प्रार्थना पत्र दिया था, जिससे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 133 /2020 किशनचन्द बनाम स्टेट ऑफ यू0पी दर्ज हुआ है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) नई दिल्ली की पांच सदस्यी पूर्ण पीठ द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 133/2020 किशनचन्द बनाम स्टेट ऑफ यू0पी में अंतिम आदेश/ निर्णय 08-06-2021 को पारित किया कि सार्वजनिक सम्पत्तियों को सुरक्षित एवं वन भूमि को पूर्वास्थिति में विधि संगत नियमों से किया जाये। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आपराधिक वाद दर्ज कराये जायें।

प्रस्तुत नामिका अधिवक्ता की ओर से जबाब आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार नगीना की आख्या दिनांक 28.04.2022 स्वीकार होने योग्य है सलंगन राजस्व अभिलेखों व उच्चाधिकारियों की जॉच आख्यानुसार प्रश्नगत सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग धारा-77 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत आती है प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि है जो प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा राज्य सरकार को हानि पहुँचाने व अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से छल कपट कर प्रविष्टि कराई गई है विवादित आराजी जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में कूट रचित त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि है को मूल स्वरूप जो कि 1359 फसली के आधार पर जंगल, नदी, रास्ता, जंगल झाड़ीदार आदि में दर्ज थी। पूर्व स्थिति अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जानी अति आवश्यक है।

आपत्ति मिनजानिब प्रतिवादीगण:- प्रतिवादीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया जिनमें से प्रतिवादी धवल चौधरी, प्रमिला चौधरी, रेखा चौधरी, एकता चौधरी, वीर सिंह, भानु प्रताप, सफिया, तसखुर, परवेज खान, राम सिंह, तीरथ सिंह, जसवीर सिंह, लसकर सिंह, राकेश प्रसाद, मेहरवान सिंह, करण सिंह, कृष्ण, उत्कर्ष, विपलव तोमर, उमाकान्त, मनोज कुमार,

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, ज़नपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202213160402958

30प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि

अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



कमलकान्त, रमाकान्त, राकेश जोशी, वीरेन्द्र प्रसाद गौड़, सरोज ध्यारी, ऋषियल्लभ, भगवती प्रसाद, विद्यावती, भूपाल सिंह विष्ट, पुष्पेन्द्र धामा, उजला देवी, चण्डी प्रसाद, रामनारायण, मनमोहन सिंह, जितेन्द्र, धमेन्द्र, राजमोहन सिंह, सोहन सिंह, वीरेन्द्र सिंह, प्रशान्त, विमला देवी, (सिद्धार्थ, रीसू) नाबालिग पुत्र स्व० मोहन सिंह जरिए क्लीमाता देवी देवी, शशि प्रभा नेगी, सूर्यमणि, अरविन्द पन्त विनोद पन्त, दिनेश पन्त, मुकेश पद्मन्त, गुणानन्द, सुनीता शर्मा, शंकर सिंह रावत, रणधीर सिंह नेगी, पार्वती नेगी, महेन्द्र सिंह रावत, रूपलाल थापा, अवेन्द्र सिंह, दुष्यन्त, सुरजी देवी, वतन पंवार, प्रिया, कृपाल सिंह, धनवीर सिंह, कैलाश सिंह, मीरा रानी, अमिता सिंघल, शोभारानी, अनिल कुमार, शिवदयाल, विष्णु कुमार, रंजीत सिंह, राजीव सिंह, अवेनीश कुमार नेगी, बीना विष्ट, नूरजोहा, सिकन्दर हुसैन, बुद्धि सिंह नेगी, पुरुषोत्तम दत्त, हरीशचन्द्र, वजीर अहमद, इन्द्रजीत, बूद व बदैसियत, मुख्तार आम राजेश कुमार, मोहनलाल की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी शेष प्रतिवादीगण पर तामीला प्रयाप्त है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सक्षेप में आपत्तिकर्ता गण की आपत्ति इस प्रकार है।

1- यह कि आपत्तिकर्ता द्वारा सशपथ आपतित प्रस्तुत करते हुये पोषणीयता के बिन्दु पर यह कहा कि राज्य सरकार उ०प्र० द्वारा जारी विज्ञप्ति जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित की गयी हो जैसा कि धारा 5 यू०पी०जै०उ०ए०एक्ट० में आवश्यक है प्रार्थना पत्र सरकार उ०प्र० के साथ सलंगन न होने कारण प्रश्नगत कार्यवाही विधि एवं नियम विरुद्ध होने के कारण पोषणीय नहीं है।

2- यह कि राज्य सरकार उ०प्र० का विहित रीति से प्रकाशित साधारणया विशेष आदेश जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत की प्रबन्धन हेतु सौंपी गयी हो जैसा कि यू०पी०आर०सी० की धारा 59 में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र सरकार उ०प्र० के साथ सलंगन एवं नियम विरुद्ध होने के कारण को पोषणीय नहीं है।

3- यह कि प्रश्नगत भूमि पर 70 वर्षों से भी अधिक से हर प्रकार का कब्जा व दखल व मालकाना हक पूर्व व वर्तमान खातेदारों का सरकार की पूर्ण जानकारी में रहा है और वर्तमान में भी है कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। सारे आदेश जो प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व के विषय में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं वे सारे आदेश विधिक हैं। इन आदेशों को कभी भी कानूनी रूप से चुनौती किसी के द्वारा आज तक नहीं दी गयी है बिना चुनौती दिये, विधि सम्मत आदेशों को संशोधन किया जाना कानून के विरुद्ध है सारे तथ्यों से यह बात भी सिद्ध है कि मालिकाना हक की सारी प्रविष्टिया नियमानुसार व दीर्घ कालीन है, जिन्हें सरकारी कार्यवाही धारा 38 (1) यू०पी०आर०सी० के अन्तर्गत निरस्त किया जाना कानूनन सम्भव नहीं है। इस कारण भी नोटिस व कार्यवाही उपरोक्त अविधिक होने के कारण हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है।

4- यह कि आपत्ति कर्ता गण ने नोटिस व जॉच टीम की आख्या दिनांकित 15.10.2020 को गलत व विधि विरुद्ध बताया तथा नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की तथा अपने नाम विभिन्न प्रकारों से कब्जा होना बताया।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर की आराजी में खातेदारों के नाम बैनामे द्वारा दर्ज अभिलेख हुए हैं। विवादित आराजी 65-70 वर्षों से श्रेणी-1 क संकमणीय भूमिधर है, लेकिन मौजा मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के गाटा संख्या क्रमशः प्रश्नगत प्रकरण में जौचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का यौरा निम्नवत है:-

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, जन्मपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : 2958/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202213160402958

उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा :- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :- 11

कुल क्षेत्रफल :- 859 बीघा 10 बिस्वा

उक्त भूमि 1359 फसली के बाद 1360 में जो पहली खतौनी जमींदारी उन्मूलन के बाद बनी उसमें उपरोक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की आराजी धारा 132 उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम तथा वर्तमान में धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता के अन्तर्गत योग्य आराजी है जिस पर किसी भी प्रकार किसी भी स्तर पर किसी के भी आदेश द्वारा भूमिधरी उत्पन्न नहीं हो सकती।

उक्त भूमि नामांतरण बही प्रविष्टि दिनांकित 29-09-1953 के अमलदरामद का अंकन है। जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदयराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फसली की खतौनी में सभी 11 गाटे कुंवर चन्द्र भान सिंह पुत्र राजा उदयराज सिंह के नाम श्रेणी 01 में सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिये गये। तत्पश्चात् उक्त सभी गाटे प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार दर्ज किये गये हैं। तथा खतौनी में सक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के कारण विक्रय हुयी तथा विभिन्न व्यक्तियों के नाम वर्तमान में उक्त भूमि के सापेक्ष अभिलिखित है। विभिन्न नामांतरण न्यायालयों द्वारा उक्त नम्बरान के कय-विक्रय के आधार पर नामांतरण किये गये।

उपरोक्त पत्रावली का पूर्ण अध्ययन करने व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने व नामिका अधिवक्ता की बहस व प्रतिवादीगण की बहस सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संयुक्त टीम की जोंच आख्या दिनांकित 15.10.2020 व तहसीलदार नगीना की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण की आपत्ति बलहीन एवं निरस्त होने योग्य है तथा प्रतिवादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

उक्त भूमि को उनके नाम के सम्मुख अंकित मूल रूप से भूमि की कार्यवाही/पत्रावली का उल्लेख नहीं पाया गया उक्त समस्त प्रतिवादीगण के नाम समस्त प्रविष्टि प्रारम्भ से प्रतिवादीगण अथवा उनसे पहले उक्त नम्बरान में दिनांक 29.09.1953 से प्रथम प्रविष्टि से लेकर वर्तमान तक की प्रविष्टि कूट रचित मानी जाती है, जो निरस्त होकर मूल श्रेणी दर्ज झाडीदार जंगल, व नदी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : मुरादाबाद, ज़नपद : विजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या : -2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -T202213160402958
उपरोक्त सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा: - 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा संयुक्त टीम की जॉच आख्या दिनांकित 15.10.2020 व तहसीलदार नगीना की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 स्वीकार की जाती है। अतः मौजा मुर्तजाबाद परगना बदापुर तहसील नगीना जिला विजनौर के गाटा संख्या कमशः प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का घ्यौरा निम्नवत है:-

क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत	क्र०सं०	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :- 11

कुल क्षेत्रफल :- 859 बीघा 10 बिस्वा

पर दर्ज खातेदारों के नाम निरस्त करते हुए भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भौति मूल श्रेणी जंगल झाडदार, व नदी दर्ज की जाती। बाद अमलदरामद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 27.08.22

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक:- 27.08.22

27.8.22
(शैलेन्द्र कुमार)

उपजिलाधिकारी नगीना।

27.8.22
(शैलेन्द्र कुमार)

उपजिलाधिकारी नगीना।

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

क्रमांक 1265

प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम मनीष

प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक 25-9-22

प्रतिलिपि बनाने का दिनांक 15-9-22

प्रतिलिपि देने का दिनांक 15-9-22

प्रतिलिपि स्थाय शुल्क 13/राज्य की सं० 13/राज्य की सं०

पाने वाले के 50 जमींदारों के 50

पृष्ठ संख्या :

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

अपील सं०- /2022

विरेन्द्र सिंह आदि

बनाम

उ०प्र० सरकार आदि

स्टे प्रार्थना पत्र

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त अपील में प्रार्थीगण ने विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.08.2022 के विरुद्ध माननीय न्यायालय उपरोक्त में अपील योजित की, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। प्रश्नगत आदेश की आड में विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। यदि विपक्षी अपने मकसद बेजा में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण का उपरोक्त अपील योजित करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा और प्रार्थीगण को असीम हानि होगी, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। न्यायहित में अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्टे किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन स्टे करने की कृपा करें।

आपकी महान अनुकम्पा होगी।

दिनांक-21/9/22

विरेन्द्र सिंह
प्रमोद सिंह
दरशाण सिंह
अपीलार्थीगण
सुनील कुमार
विरेन्द्र सिंह आदि

द्वारा
अपने अधिवक्ता

अहमद को मुप्ता

म. नं० १०-४४-१११, दिनांक-१२/९/२२

अधिवक्ता मुरादाबाद

न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद
संख्या 388/पेशकार दिनांक 6/10-2-22

स्थगन प्रार्थना पत्र पर श्री आर०के० गुप्ता एडवोकेट द्वारा अपील संख्या सी202213000001784 विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि अन्तर्गत धारा 38(4) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना जिला बिजौर द्वारा धारा 38(1) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद संख्या-टी202213180402959 उ०प्र० सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि में पारित आदेश दिनांक 27-08-2022 स्थित भूमि ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजौर के क्रियान्वयन स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना की गई कि-

प्रार्थना

प्रार्थना है कि अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 27-08-2022 का क्रियान्वयन स्टे करने की कृपा करें। !

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

29-09-2022

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये। प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाँच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ० के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ० की नॉन जैड०ए० की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेबटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेबटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनांक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ० की खतौनी में "बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ० की खतौनी में कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदरराज सिंह का नाम जिमन-1 के आसामियान जेरे काश्त भूमिधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ० दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाँच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है० तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है० भूमि वन विभाग की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण

प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंकन है, जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फ0 की खतौनी में सभी 11 गाटें कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक की प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद 30प्र0 सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा0 न्यायालय राजस्व परिषद से दिनांक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-12-2022 को पेश हो।

ह0/-

(आन्जनेय कुमार सिंह)

आयुक्त,

मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

29-09-2022

प्रतिलिपि:

1- जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आज्ञा से



पेशकार


न्यायालय मण्डलायुक्त






न्यायमलय आयुक्त, मुसदाबाद मण्डल, मुसदाबाद हास वाद संख्या-1784/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा - 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि, नियत दिनांक 01-05-2024 में फर्द-अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 29-09-2022 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक - (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)





आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : मुरादाबाद
वाद संख्या : -1794/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794

विरेंद्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वा का नाम श्री. वि. स. 5 पाठ
वा प्र की सं/दिनांक 12.11.90/12-4-22
कल तैयारी का दिनांक 12-04-22
पत्र का दिनांक 12-04-22
पत्र करने का दिनांक 12-04-22
प्रतिलिपिक
तुलना कर्ता
शर्तों की संख्या 4-0-19111
मूल्य का मूल्य 13/-

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये।

प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाँच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ० के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ० की नॉन जैड0ए0 की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेबटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेबटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनांक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ० की खतौनी में "बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ० की खतौनी में कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह का नाम जिन-1 के आसामियान जेरे काश्त भूमिधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ० दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाँच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है० तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है० भूमि वन विभाग की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंकन है, जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फ० की खतौनी में सभी 11 गाँव कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय क्षेत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक सारी प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद उ०प्र० सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा० न्यायालय राजस्व परिषद से दिनांक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-12-2022 को पेश हो।

1245/199

1204-22

पृष्ठ संख्या :

(आञ्जनेय कुमार सिंह)

आयुक्त

मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद



29-09-2022

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
12/09/22
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद




23/12/22


15/07/2022




न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या-1794/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा - 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि, नियत दिनांक 01-05-2024 में फर्च-अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 05-12-2022, 28-12-2022, 08-02-2023, 01-03-2023, 29-03-2023 एवं 17-05-2023 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक - (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)





न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या-1794/2022, कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या-सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा - 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील मगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि, नियत दिनांक 01-05-2024 में फर्द-अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 05-07-2023, 21-08-2023, 20-09-2023 एवं 30-10-2023 की छाया सत्य प्रतिलिपि संलग्नक - (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)





आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : मुरादाबाद, ज़ामपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202213000001794
विरेंद्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

24.25/1933
15/12/23

05 ⁰⁷/₂₃ पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली में इतना प्रमाण
आता है कि उक्त शेषान आदि का डी. 29.9.22
दिनांक 21.8.23 तक अदा हुआ है।
शेषान आदि के कारण प्रमाणों के डी. 21.8.23
को वास्तु अदा पैस है। सत्य

बहस
21-8-23

21 ⁰⁸/₂₃ पत्रावली प्रस्तुत। विज्ञान आयोग के माध्यम से
से प्रमाणों की जांच के इतना प्रमाण आता है
कि उक्त शेषान आदि का डी. 29.9.22 निम्न
दिनांक 20-9-23 तक अदा हुआ है।
पत्रावली दिनांक 20-9-23 के माध्यम से
पैस है। सत्य

बहस
20-9-23

20 ⁰⁹/₂₃ पत्रावली प्रस्तुत। - प्रायश्चित में इस
- प्रायश्चित्त द्वारा उक्त शेषान आदि का
दिनांक 29.09.22 निम्न दिनांक 30.10.23
तक अदा हुआ है। पत्रावली दिनांक
30.10.23 को वास्तु अदा पैस है। सत्य

बहस
30.10.23

30 ¹⁰/₂₃ पत्रावली प्रस्तुत। पी० ओ० महोदय अवकाश
पा है। पत्रावली दिनांक 11.12.23 को वास्तु
अदा पैस है। सत्य





बहस
11.12.23



12.45/1.90
12.04.24

पृष्ठ संख्या :
पत्रावली दिनांक 12.45/1.90/12.04.24
12.4.24
12.9.24
12.9.24
दिनांक 12.4.24
दिनांक 12.9.24
दिनांक 12.9.24
दिनांक 12.9.24
दिनांक 12.9.24
दिनांक 12.9.24

आया सत्व प्रतिनिधि प्रमाणित
12/10/24
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद



द्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या-1794/2022,
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा - 38(4), अधिनियम :- उत्तर
 प्रदेश राजस्व संहिता-2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि
 बनाम उ०प्र० सरकार आदि, नियत दिनांक 01-05-2024 में फर्द-अहकाम पर पारित आदेश
 दिनांक 11-12-2023, 15-01-2024, 19-02-2024 एवं 27-03-2024 की छाया सत्य
 प्रतिलिपि।

संलग्नक - (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)





आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल : मुरादाबाद, जूनपद : बिजनौर, तहसील : नगीना
वाद संख्या :- 1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ०प्र० सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

11 ¹²/₂₃ पत्रावली प्रस्तुत पी.ओ. महोदय अन्य शासकीय कार्य से व्यस्त रहे। पत्रावली दिनांक 15.01.24 को वास्तु बहस पेस हो।
बहस
15.01.24

15 ⁰¹/₂₄ पत्रावली प्रस्तुत / न्यायदित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 29.09.22 निपत दिनांक 19.02.24 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 19.02.24 को वास्तु बहस पेस हो।
बहस
19.02.24

19 ⁰²/₂₄ पत्रावली प्रस्तुत विधान अधिकताजण कार्य से विरत रहे। पी.ओ. महोदय अन्य शासकीय कार्य से व्यस्त रहे। पत्रावली दिनांक 27.03.24 को वास्तु बहस पेस हो।
बहस
27.03.24

29 ⁰⁵/₂₄ पत्रावली प्रस्तुत / न्यायदित में इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.09.22 निपत दिनांक 01.05.24 तक बढ़ाया जाता है। उपाभाव होने के कारण पत्रावली दिनांक 01.05.24 को वास्तु बहस पेस हो।
बहस
01.05.24



1245/109
1209-6m

यह आदेश पी.ओ. महोदय को पत्र संख्या :
1245/109/124024
द्वारा पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 12.4.2024
आदेश को पत्रावली दिनांक 12.4.2024
को पत्रावली प्रस्तुत दिनांक 12.4.2024

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

प्रीत निकाले

मण्डल: - मुरादाबाद न्यायालय: - आयुक्त

वाद सं०: 1794/2022 कंप्यूटरीकृत C202213000001794
वाद सं०:

वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता: विरेन्द्र सिंह वाद की बहस
आदि, हल्लोवाली स्थिति:
तहसील नगीना
बनाम
30प्र0 सरकार
आदि, मुर्तजाबाद
तह0 नगीना

वाद प्रकृति: मूल वाद दाखिल करने 29-Sep-2022
का दिनांक:

अगला सुनवाई दिनांक: 01-May-2024 अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजस्व
धारा: संहिता - 2006, 38(4)

गाँव और परगने का नाम: गाँव:-, परगने का
नाम:- बढापुर

वादग्रस्त भूमि का विवरण								
क्र सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिफिक कोड	क्षेत्रफल
1	बिजनौर	नगीना	बढापुर	मुर्तजापुर	00077	1	112600-0001-000012	0.4080

आर्डर शीट का विवरण				
क्र सं०	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	---	---	05/12/2022	प्रतीक्षा अवर न्यायालय पत्रावली

	05/12/2022	प्रतीक्षा अवर न्यायालय पत्रावली	28/12/2022	बहस
3	28/12/2022	बहस	08/02/2023	बहस
4	08/02/2023	बहस	01/03/2023	बहस
5	01/03/2023	बहस	29/03/2023	बहस
6	29/03/2023	बहस	17/05/2023	बहस
7	17/05/2023	बहस	05/07/2023	बहस
8	05/07/2023	बहस	21/08/2023	बहस
9	21/08/2023	बहस	20/09/2023	बहस
10	20/09/2023	बहस	30/10/2023	बहस
11	30/10/2023	बहस	11/12/2023	बहस
12	11/12/2023	बहस	15/01/2024	बहस
13	15/01/2024	बहस	19/02/2024	बहस
14	19/02/2024	बहस	27/03/2024	बहस
15	27/03/2024	बहस	01/05/2024	बहस

Disclaimer: उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),
मुरादाबाद।

पत्रांक- 24/N-45/जनरल

दिनांक- 04-04-2024

विषय-मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0-1794/2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0-1794/2022 (विरेन्द्र सिंह आदि हल्लोवाली, तहसील-नगीना बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, मुर्तजाबाद, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वाद उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006, अधिनियम की धारा-38(4) के अन्तर्गत दिनांक-29.09.2022 को योजित किया गया है, जिसमें अगली सुनवाई दिनांक-01.05.2024 नियत है।

अग्रेतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-451/2022 (आनन्द कुमार ध्यानी बनाम लोक निर्माण विभाग व अन्य) विचाराधीन है, जिसमें मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0-1794/2022 के निर्णय से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई दिनांक-22.04.2024 नियत है।

अतः प्रकरण की महत्वता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0-1794/2022 में प्रभावी पैरवी अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि-आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।



04/4/24.
जिलाधिकारी
बिजनौर